



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 548

3 श्रावण 1930 शकाब्द
रांची, शुक्रवार 25 जुलाई, 2008

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

23 जुलाई, 2008

विषय: पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति- 2008 की स्वीकृति।

संख्या-1/मु0वि0 विविध (पुनर्वास नीति)-05/08-630/रा0- — झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु सार्थक प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के विस्थापन की संभावना है। विस्थापन एवं इसके फलस्वरूप होनेवाली कठिनाईयों का प्रभाव स्थानीय जनता पर कम-से-कम हो इसके लिए राज्य की एक सुविचारित 'पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति' लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई।

2. भारत सरकार भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 में राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति निर्गत की गई है। झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति को ध्यान में रखकर राज्य की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति तैयार करने हेतु संकल्प सं0-1914, दिनांक 6 दिसम्बर, 2007 द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त एवं वाणिज्यकर) की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति गठित की गई। राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमण्डलीय उप समिति की अनुशंसा एवं सुझाव के आधार पर 'पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति-2008' को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आर0एस0 पोद्दार
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति-2008

अध्याय-I

प्रस्तावना

- 1.1 झारखंड राज्य की ऐतिहासिक घटनाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि झारखंड के वासियों द्वारा, विशेषकर आदिवासी प्रमुखों द्वारा कई विद्रोह किये गये हैं क्योंकि वे अपनी सभ्यता एवं रीति रिवाजों में बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध आक्रोशित थे। स्वतंत्रता के बाद आदिवासियों एवं स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए अलग राज्य के गठन के लिए लड़ाई लड़ी गयी तथा अंततः नवम्बर, 2000 में अलग राज्य की परिकल्पना साकार हुई। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण इस राज्य के लोगों की सोच थी कि राज्य के औद्योगिकीकरण से झारखंड के लोगों का भविष्य सुनहरा होगा। पूर्व में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं सी0बी0ए0 (ए0 एण्ड डी0) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत उद्योगों, डैम एवं खानों की स्थापना हेतु काफी भूमि अर्जित की गई। इन भूमि अधिग्रहण से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए एवं इसमें स्थानीय लोग अपनी भूमि, वन, जल संसाधन, सामुदायिक पहचान, कला एवं जीविकोपार्जन खो बैठे। स्थानीय लोगों के अशिक्षित होने एवं उनमें तकनीकी योग्यता के अभाव में उद्योगों एवं खानों इत्यादि में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया एवं विकास की प्रक्रिया में वे भागीदार बनने से वंचित रह गये। चूँकि स्थानीय लोगों का रहन-सहन भी काफी भिन्न रहा है, अतः वे विकास की इस प्रक्रिया का लाभ नहीं ले सके। झारखंड राज्य गठन के सात वर्षों के बाद भी उन्हें विकसित करने हेतु किये गये प्रयासों के बावजूद आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं। अतः औद्योगिकीकरण एवं उद्योग आदि के लिए भूमि अधिग्रहण के परिपेक्ष्य में यह आवश्यक है कि वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए एक उपयुक्त पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति तैयार की जाए जिससे पूँजी निवेशकों के साथ-साथ प्रभावित लोगों का भी कल्याण सुनिश्चित हो सके।

झारखंड राज्य का 55 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भारत के संविधान की पाँचवी अनुसूची के अन्तर्गत पड़ने वाला अनुसूचित क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है (यह स्थानीय निवासियों विशेषकर अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए लाभप्रद एवं हानिकारक दोनों ही रहा है)। नैसर्गिक न्याय के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि झारखंड में हो रहे विकास के कार्यों का लाभ परियोजना प्रभावित लोगों को भी मिले जिन्होंने पूँजी निवेशकों के हित में अपनी भूमि, वन, जल संसाधन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों को खोया है। लोगों के पूर्व के अनुभवों से स्पष्ट है कि झारखंड में विभिन्न परियोजनाओं के कारण हुए विस्थापितों को बहुधा न तो उचित तरीके से पुनर्वासित किया गया एवं न ही पुनर्स्थापित किया गया है। इन विस्थापनों के कारण स्थानीय लोगों को रोजगार की खोज में राज्य से अन्यत्र पलायन करना पड़ा है।

पिछले 60-70 वर्षों में रोजगार के नये अवसरों के कारण झारखंड में आने वाले लोगों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। इससे झारखंड की जनसंख्या के पार्श्वचित्र में बदलाव आया है। झारखंड के लोगों विशेषकर आदिवासी लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान पर भी बाहर से आये लोगों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। झारखंड राज्य की जनसंख्या में आदिवासियों का प्रतिशत वर्ष 1931 में 50 प्रतिशत से अधिक था जो वर्ष 2001 में घटकर 26.3 प्रतिशत रह गया है। राज्य में आदिवासी जनसंख्या के प्रतिशत में हुई कमी के कारण विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है जो वर्ष 1971 में 32 से घटकर 28 हो गई। परिसीमन आयोग के द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर इसे पुनः 28 से 21 करने का प्रस्ताव दिया गया। इसी प्रकार आदिवासियों के लिए आरक्षित लोक सभा सीटों की संख्या वर्ष 1971 में 7 से घटकर 5 हो गई तथा वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग ने इसे पुनः 5 से घटाकर 4 किये जाने का प्रस्ताव दिया। अतः औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि अनुसूचित जनजातियों एवं स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाए।

- 1.2 सार्वजनिक सुविधाओं अथवा आधारभूत अवसंरचना की व्यवस्था करने हेतु निजी संपत्ति के अर्जन के लिए 'सर्वोपरि अधिकार' के सिद्धांत के अन्तर्गत राज्य द्वारा कभी-कभी विधिक शक्तियों का प्रयोग करना अपेक्षित होता है, अर्जन के परिणामस्वरूप लोग अनैच्छिक रूप से विस्थापित हो जाते हैं, उन्हें अपनी भूमि, जीविका और आश्रयस्थल को छोड़ना पड़ता है, उन्हें परम्परागत संसाधन आधार के लाभ प्राप्त होने में पाबंदी लग जाती है, तथा वे अपने सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण से अलग हो जाते हैं। इनका प्रभावित लोगों पर अभिघातज, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए उनके अधिकारों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, सीमांत किसानों तथा महिलाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों का संरक्षण अपेक्षित हो जाता है।
- 1.3 पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी मुद्दों को बाह्य रूप से आरोपित आवश्यकताओं की अपेक्षा प्रभावित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के साथ तैयार की गई विकासात्मक प्रक्रिया के एक मूलभूत अंग के रूप में स्वीकार करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। अनैच्छिक विस्थापन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मुआवजे के अलावा अतिरिक्त लाभ प्रदान करने होंगे। उन लोगों की स्थिति और भी खराब होती है, जो उस भूमि के संबंध में विधिक अथवा मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं रखते हैं जैसे गैरमजरूआ एवं वनभूमि धारक, जिस पर वे अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्णतया आश्रित रहते हैं। इस प्रकार योजनाकर्ताओं के लिए विस्थापन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रक्रिया ढांचे में केवल उन लोगों को ही नहीं, जिनकी भूमि तथा अन्य परिसम्पत्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से अर्जित की जाती हैं, बल्कि उन लोगों को भी, जो ऐसी परिसम्पत्तियों के अर्जन से प्रभावित होते हैं, शामिल करने के लिए व्यापक संयुक्त प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। विस्थापन प्रक्रिया में प्रायः ऐसी समस्याएं आती हैं, जिनसे विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिए पुनर्स्थापन के बाद आजीविका के अपने पुराने कार्यकलापों को जारी रखना कठिन हो जाता है। इसके लिए विस्थापन के आर्थिक नुकसान तथा सामाजिक प्रभाव का ध्यानपूर्वक आकलन करना अपेक्षित है। प्रभावित लोगों के समग्र जीवन-स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से सार्थक प्रयास भी किया जाना चाहिए।

- 1.4 विगत वर्षों में उठे विभिन्न विचारणीय बिन्दुओं के आलोक में एक व्यापक झारखण्ड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा अथवा पंचायतों से परामर्श पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों के अधीन होगा। प्रत्येक परियोजना की वांछनीयता और औचित्य के संदर्भ में लागतों तथा अधिकांश समाज को उद्भूत होने वाले लाभों की मात्रा का ध्यानपूर्वक निर्धारण करके एक स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रभावित परिवारों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों—आर्थिक, पर्यावरणिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभावों का एक सहभागी तथा पारदर्शी रूप में मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। यह राज्य नीति उन सभी परियोजनाओं में लागू होगी, जहाँ पर अनैच्छिक विस्थापन होता है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य न्याय के साथ जनता का विकास तथा परियोजनाओं में नियोजन के पर्याप्त अवसर प्रदान करना है।
- 1.5 पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति का यह उद्देश्य होना चाहिए कि बड़े पैमाने पर होने वाले विस्थापन को यथासंभव न्यूनतम किया जाए। परियोजना के प्रयोजन के अनुरूप भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का ही अर्जन किया जाए। इसके अलावा, जहाँ तक संभव हो, परियोजनाएं बंजरभूमि, अवक्रमित भूमि या असिंचित भूमि पर स्थापित की जाएं। परियोजना में गैर-कृषि उपयोग हेतु कृषि-भूमि का अर्जन, जिसका पुनर्उपयोग नहीं किया जा सकता है जैसे— खनन परियोजनाओं के लिए भूमि तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समूहों की भूमि, बहु-फसली भूमि एवं सिंचित भूमि का अधिग्रहण यथासंभव नहीं किया जाना चाहिए। किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व राज्य सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए, जिनसे (i) परियोजना हेतु भूमि के अर्जन के कारण लोगों का कम से कम विस्थापन हो, (ii) परियोजना के लिए अर्जित की जानेवाली भूमि का कुल क्षेत्र न्यूनतम हो, (iii) परियोजना में गैर-कृषि उपयोग हेतु कृषि भूमि का अर्जन न्यूनतम मात्रा में हो। विकल्पों का आकलन, वैकल्पिक परियोजना संबंधी योजनाओं, संभावित रूप से उपयुक्त स्थानों, उपलब्ध प्रौद्योगिकीय विकल्पों अथवा इनके संयोजन के संबंध में किया जाए। इस कार्य का पारदर्शी ढंग से निष्पादन करने के लिए संस्थागत तंत्र तैयार कर उसका पालन किया जाना चाहिए।

- 1.6 जहाँ बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित होते हैं, वहाँ सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करना और पुनर्स्थापन क्षेत्र में अपेक्षित सभी आधारभूत सुविधाएं और उन्मुक्तियाँ उपलब्ध कराना अनिवार्य होना चाहिए। खासकर जहाँ बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजातियों के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, वहाँ एक सुविचारित जनजातीय विकास योजना लागू की जानी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लोगों से उनकी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने एवं विकास की दिशा तय करने हेतु उनसे परामर्श किया जाएगा। विशेषकर जनजातीय लोगों को स्वास्थ्य, आवासन एवं अन्य आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रमों, जिनसे वे प्रभावित होते हैं, के लिए, सक्रिय भागीदार के रूप में शामिल किया जा सकेगा।
- 1.7 इसके अतिरिक्त, ऐसी किसी नीति में ऐसी स्पष्ट समय-सीमाएं विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए, जिनके भीतर पुनर्वास पैकेज का कार्यान्वयन और भूमि का उपयोग पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, इसमें एक कारगर निगरानी तथा शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित होना चाहिए।
- प्रस्तुत पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति को तैयार करने में उक्त सभी प्रासंगिक विषयों पर यथायोग्य विचार किया गया है।

अध्याय-II

2. झारखण्ड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के उद्देश्य :

2.1 झारखण्ड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

- (क) जहाँ तक संभव हो, न्यूनतम विस्थापन करने, विस्थापन न करने अथवा कम से कम विस्थापन करने के विकल्पों को बढ़ावा देना;
- (ख) प्रभावित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के साथ पर्याप्त पुनर्वास पैकेज सुनिश्चित करना तथा पुनर्वास प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
- (ग) समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा करने तथा उनके उपचार के संबंध में ध्यानपूर्वक तथा संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई किए जाने पर विशेष ध्यान रखे जाने को सुनिश्चित करना;

- (घ) प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने तथा सतत् रूप से आय मुहैया कराने हेतु संयुक्त प्रयास करना;
- (ङ) पुनर्वास कार्यों को विकास योजनाओं तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना; और
- (च) जहाँ पर विस्थापन भूमि अर्जन के कारण होता है, वहाँ पर अर्जनकारी निकाय तथा प्रभावित परिवारों के बीच आपसी सहयोग के जरिए सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना।

अध्याय—III

3. परिभाषाएँ

3.1 इस नीति में प्रयोग की गई विभिन्न अभिव्यक्तियों की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:—

(क) “पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक” से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के प्रयोजन के लिए नियुक्त उपायुक्त के स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी अभिप्रेत है।

(ख) “प्रभावित परिवार” से अभिप्रेत है—

- (i) एक ऐसा परिवार जिसके निवास का मूल स्थान या अन्य सम्पत्ति किसी परियोजना के लिए भूमि का अर्जन किए जाने या किसी अन्य कारण से अनैच्छिक विस्थापन के द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित होता है; अथवा
- (ii) कोई कृषि या गैर कृषि श्रमिक, भूमिहीन व्यक्ति (जिसके पास कोई वासभूमि, कृषि भूमि अथवा, या तो वासभूमि अथवा कृषि भूमि नहीं है) ग्रामीण शिल्पकार, छोटे व्यापारी, स्व-नियोजित व्यक्ति; जो उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने की तारीख से पूर्व कम-से-कम, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 (पन्द्रह) वर्ष एवं अनुसूचित क्षेत्र में 30 (तीस) वर्षों से अन्यून अवधि जो प्रशासक, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के पर्यवेक्षण में ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित हो, उस क्षेत्र में सतत् रूप से रह रहा हो या किसी व्यापार, कारोबार, पेशे या व्यवसाय में लगा हुआ हो और जो अपनी आजीविका अर्जित करने से वंचित हुआ हो या जिसे प्रभावित क्षेत्र में भूमि का अर्जन किए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से अनैच्छिक रूप से विस्थापित होने के कारण अपने व्यापार, कारोबार, पेशे या व्यवसाय से पूर्णतः या अंशतः वंचित होना पड़ा हो;

- (ग) “प्रभावित क्षेत्र” से इस नीति के पैरा 6.1 के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित गाँव या इलाके का क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (घ) “कृषि श्रमिक” से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पूर्व कम-से-कम, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 (पन्द्रह) वर्ष एवं अनुसूचित क्षेत्र में 30 (तीस) वर्षों से अन्यून अवधि जो ग्राम सभा से प्रमाणित हो, के लिए प्रभावित क्षेत्र का निवासी रहा हो और जो प्रभावित क्षेत्र में कोई भूमि न रखता हो परन्तु अपनी जीविका, मुख्यतः ऐसी घोषणा के तत्काल पूर्व उसमें स्थित कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम के द्वारा अर्जित करता हो और जो अपनी जीविका से वंचित हुआ हो।
- (ङ) “कृषि भूमि” में ऐसी भूमि शामिल है, जिसका प्रयोग निम्न प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो—
- (i) कृषि या बागवानी;
 - (ii) डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्यपालन, रेशम उत्पादन, पशुओं के प्रजनन अथवा ऐसी नर्सरी जिसमें औषधीय जड़ी-बूटियाँ उगायी जाती हैं;
 - (iii) फसलें, घास उगाना या उद्यान उत्पाद प्राप्त करना; तथा
 - (iv) वह भूमि, जिसे कृषकों द्वारा पशुओं की चराई के लिए प्रयोग में लाया गया है, परन्तु इसमें वह भूमि शामिल नहीं है, जिसका प्रयोग केवल लकड़ी की कटाई के लिए किया गया है।
- (च) “पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त” से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वह “पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त” अभिप्रेत है, जो सरकार के आयुक्त से अथवा समकक्ष पद से नीचे के पद का अधिकारी नहीं हो;
- (छ) “विस्थापन” से अभिप्रेत है वास-भूमि अथवा आवासीय स्थान का खोना;
- (ज) “परिवार” में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी या उसका पति, अविवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्रियाँ, अविवाहित भाई, अविवाहित बहनें शामिल हैं और इसमें “एकल परिवार”, जिसमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी/उसका पति तथा अवयस्क बच्चे हों, भी शामिल है। बशर्ते इस नीति के अन्तर्गत पुनर्वास लाभ देने के प्रयोजन से निम्नांकित श्रेणियों को एक पृथक परिवार माना जायगा :—

- i. अविवाहित पुरुष या अविवाहित महिला जिसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो;
 - ii. शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग व्यक्ति, बिना उम्र एवं लिंग विचार के, (अधिकृत चिकित्सा पर्यद द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित)। इस हेतु दृष्टिहीन/वधिर/शारीरिक रूप से अपंग/मानसिक रूप से अपंग व्यक्ति जो 40 प्रतिशत से अधिक स्थायी अपंगता से पीड़ित हो, को ही पृथक परिवार माना जायेगा,
 - iii. नाबालिग अनाथ, जिसने माता-पिता दोनों खो दिए हैं,
 - iv. विधवा,
- (झ) “ग्राम सभा” से अभिप्रेत है ग्राम सभा जैसा कि झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 में परिभाषित है;
 - (ञ) “जोत-क्षेत्र” से किसी एक व्यक्ति द्वारा दखलकार के रूप में या काश्तकार के रूप में अथवा दोनों ही रूपों में धारित कुल भूमि अभिप्रेत है;
 - (ट) “रैयत” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका नाम संदर्भाधीन भूमि के खंड से संबंधित राजस्व अभिलेखों में शामिल है।
 - (ठ) “भूमि अर्जन” या “भूमि के अर्जन” से समय-समय पर संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, (1894 का 1) या उस समय प्रवृत्त संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य कानून के अंतर्गत भूमि का अर्जन अभिप्रेत है।
 - (ड) “निगम क्षेत्र” से अभिप्रेत है वह निगम क्षेत्र जैसा कि झारखण्ड नगर निगम अधिनियम, 2001 में परिभाषित है।
 - (ढ) “गैर कृषि श्रमिक” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि श्रमिक नहीं है परन्तु जो सामान्यतया प्रभावित क्षेत्र में, उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने से तत्काल पूर्व से कम-से-कम गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 (पन्द्रह) वर्ष एवं अनुसूचित क्षेत्र में 30 (तीस) वर्षों से अन्यून अवधि से रह रहा हो और जो संबंधित ग्रामसभा से प्रमाणित हो और जो प्रभावित क्षेत्र में कोई भूमि नहीं रखता हो परन्तु जो इस प्रकार की घोषणा से तत्काल पूर्व में अपनी आजीविका मुख्यतः शारीरिक श्रमिक के रूप में या ग्रामीण दस्तकार के रूप में अर्जित करता रहा हो और जो प्रभावित क्षेत्र में, अपनी आजीविका मुख्यतः शारीरिक श्रम के द्वारा या ऐसे दस्तकार के रूप में अर्जित करने से वंचित हुआ हो।
 - (ण) “अधिसूचना” से झारखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

- (त) **“एकल परिवार”** से एक व्यक्ति, उसका पति अथवा उसकी पत्नी तथा नाबालिग बच्चे अभिप्रेत है।
- (थ) **“अधिभोगी”** से अनुसूचित जनजाति समुदाय एवं अन्य वनवासी समुदाय का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो 13 दिसम्बर, 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखता हो;
- (द) **“न्यायाधिकरण”** से, शिकायतों को दूर करने के लिए इस नीति के पैरा 8.3 के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ध) **“विनिर्धारित”** से, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा आदेशों के द्वारा विनिर्धारित अभिप्रेत है।
- (न) **“परियोजना”** का अर्थ ऐसी परियोजना है जिसमें भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप अनैच्छिक विस्थापन सम्मिलित हो एवं जो लौह एवं इस्पात, अल्यूमिनियम, विद्युत उर्जा उत्पादन अथवा सिमेंट उत्पादन से संबंधित हो तथा साथ ही इसमें वैसी अन्य परियोजना भी सम्मिलित हैं जो झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा इस हेतु समय-समय पर अधिसूचित हों।
परन्तु औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/औद्योगिक क्षेत्र हेतु किसी भूमि अधिग्रहण को परियोजना में निहित नहीं माना जाएगा।
- (प) **“अर्जनकारी निकाय”** से एक ऐसी कम्पनी, एक निगमित निकाय, एक संस्था अथवा कोई अन्य संगठन अभिप्रेत है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि का अर्जन किया जाना है।
- (फ) **“पुनर्स्थापन क्षेत्र”** का अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार द्वारा इस नीति के पैरा 6.9 के तहत इस प्रकार घोषित किया जाए।

अध्याय-IV

4. परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस0आई0ए0)

4.1 जब कभी भी कोई नई परियोजना शुरू करने अथवा किसी विद्यमान परियोजना का विस्तार करने की इच्छा की जाती है, जिसके अंतर्गत, किसी भी क्षेत्र में सामूहिक रूप में एक सौ अथवा अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन शामिल हो, तो प्रशासक, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित प्रभावित क्षेत्रों में, यथा निर्धारित ढंग से, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस0आई0ए0) अध्ययन किया जाए।

4.2.1 उपर्युक्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट ऐसे प्रोफार्मा में तैयार की जाएगी जिसे विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए विनिर्धारित स्वरूप में, प्रत्यायित एजेंसियों का प्रयोग

करते हुए तैयार किया जाए। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर तैयार कर ली जाएगी।

- 4.2.2 सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करते समय राज्य सरकार प्रशासक, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ इस बात को ध्यान में रखेगी कि परियोजना का सार्वजनिक और सामुदायिक सम्पत्तियों, परिसम्पत्तियों और आधारिक ढांचे, विशेष रूप से सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, जल निकास, सफाई, शुद्ध पेयजल स्रोतों, पशुओं के लिए पेयजल स्रोतों, सामुदायिक तालाब, चरागाह भूमि, चारे के लिए भूमि, पौधरोपण (सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी) उचित दर दुकानें, पंचायत घर, सहकारी समितियां, सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे की डाकघर, बीज-सह-उर्वरक भंडार, सिंचाई, बिजली, स्वास्थ्य केन्द्र, शिशु-माता अनुपूरक पौषणिक सेवाएं, बच्चों के लिए खेल मैदान, पार्क, सामुदायिक केन्द्र, प्रशिक्षण हेतु संस्थागत व्यवस्था, पूजा-स्थल, परम्परागत जनजातीय संस्थाओं के लिए भूमि, एवं कब्रगाह/श्मशान भूमि तथा सुरक्षा व्यवस्था आदि के साथ-साथ आदिम जन जाति एवं अनूसूचित जन जाति की संस्कृति एवं परंपरा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
- 4.3.1 जहां विद्यमान किसी कानून, नियमों, विनियमों अथवा मार्गनिर्देशों के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आरंभ करना अपेक्षित हो, ऐसे मामलों में एस0आई0ए0 अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई0आई0ए0) अध्ययन के साथ-साथ किया जाएगा।
- 4.3.2 ऐसे मामलों जिनमें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई0आई0ए0) तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस0आई0ए0) दोनों ही किए जाने अपेक्षित हों, उनमें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए परियोजना प्रभावित क्षेत्र में की गई जन-सुनवाई के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित मामलों को भी शामिल किया जाएगा। ऐसी जन-सुनवाई प्रशासक, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास द्वारा आयोजित की जाएगी। जन सुनवाई का कार्य 30 दिनों के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा।
- 4.3.3 जिन मामलों में ई0आई0ए0 की कोई आवश्यकता नहीं है, उनमें प्रशासक, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास द्वारा आयोजित जन-सुनवाई के माध्यम से एस0आई0ए0 रिपोर्ट जनता को उपलब्ध कराई जाएगी।
- 4.4.1 एस0आई0ए0 रिपोर्ट की जाँच राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित एक स्वतंत्र बहु-विध विशेषज्ञ समूह के द्वारा की जाएगी। इस विशेषज्ञ-समूह में दो

गैर-सरकारी सामाजिक विज्ञान तथा पुनर्वास विशेषज्ञ, राज्य सरकार के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित विभाग के सचिव अथवा उसके प्रतिनिधि तथा अर्जनकारी निकाय का एक प्रतिनिधि होगा।

- 4.4.2 जहाँ पर ई0आई0ए0 तथा एस0आई0ए0 दोनों ही अपेक्षित हों, वहाँ पर एस0आई0ए0 रिपोर्ट की एक प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन किए जाने के संबंध में निर्धारित एजेंसी को उपलब्ध करवाई जाएगी और ई0आई0ए0 रिपोर्ट की एक प्रति पैरा 4.4.1 में उल्लेख किए गए विशेषज्ञ समूह को भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- 4.5 एस0आई0ए0 की स्वीकृति जन सुनवाई की तिथि से 30 दिनों के अन्दर आयुक्त, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन दी जाएगी।
- 4.6 एस0आई0ए0 स्वीकृति उन सभी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य होगी, जिनमें सामूहिक रूप में किसी भी क्षेत्र में 100 या उससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है तथा सभी संबंधित पक्षों द्वारा एस0आई0ए0 स्वीकृति में निर्धारित की गई शर्तों का विधिवत रूप से पालन किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के पूर्व अधियाची निकाय को इस पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के प्रावधानों का विधिवत रूप से पालन करने का लिखित रूप से वचनबद्धता प्रमाण-पत्र देना होगा।

अध्याय-V**5. पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक तथा आयुक्त की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियाँ और कार्य :-**

5.1 जहाँ पर राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन अथवा किसी अन्य कारण से बड़ी संख्या में लोगों का अनैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है, तो यह, और जहाँ पर राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन के कारण तथा अन्य किसी कारण से सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 या इससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है तो इस परियोजना के संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा उपायुक्त के स्तर से अन्यून स्तर के किसी अधिकारी को पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी।

परन्तु यह और कि सामूहिक रूप से 100 से कम परिवारों के विस्थापन वाली परियोजनाओं के मामलों में, उपायुक्त इस नीति के अधीन प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए जिम्मेवार होगा।

5.2 पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक की सहायता ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की जाएगी जैसा राज्य सरकार निर्णय करे।

5.3 राज्य सरकार तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त के पर्यवेक्षण, निर्देशों तथा नियंत्रण के अध्यधीन, पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक, प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए सभी उपाय करेगा।

5.4 पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना तैयार करने, निष्पादित करने और उसकी निगरानी करने के संबंध में समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण की शक्ति पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक में निहित होगी।

5.5 राज्य सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अध्यधीन पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक निम्नलिखित कार्यों और कर्तव्यों को सम्पन्न करेगा :

- (i) अर्जनकारी निकाय के परामर्श से व्यक्तियों का न्यूनतम विस्थापन करना और ऐसे विकल्पों का पता लगाना जिनसे विस्थापन न हो अथवा कम से कम विस्थापन हो;

- (ii) पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्कीम अथवा योजना तैयार करते समय प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित ग्रामसभा के साथ परामर्श करना।
- (iii) यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्ग के प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों के हितों का संरक्षण हो;
- (iv) इस नीति के अध्याय VI के अंतर्गत यथा अपेक्षित पुनर्स्थापन और पुनर्वास स्कीम अथवा योजना का प्रारूप तैयार करना;
- (v) प्रभावित परिवारों, संबंधित ग्रामसभा और अर्जनकारी निकाय के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से भूमि अर्जन के विभिन्न घटकों, पुनर्स्थापन और पुनर्वास कार्यकलापों अथवा कार्यक्रमों के लिए अनुमानित व्यय सहित बजट तैयार करना;
- (vi) प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए जहाँ तक संभव हो पर्याप्त भूमि की व्यवस्था करना;
- (vii) प्रभावित परिवारों को लाभ स्वीकृत करना;
- (viii) ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना जिन्हें राज्य सरकार लिखित में, आदेश द्वारा समय-समय पर सौंपती है।

5.5.1 प्रशासक अपने कार्यों के सम्पादन के लिए किसी तकनीकी विशेषज्ञ/संस्थान से अपेक्षित सहयोग ले सकेगा जिसपर व्यय का वहन अधियाची निकाय द्वारा किया जाएगा।

5.6 पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक, लिखित रूप में आदेश के द्वारा उसे इस नीति के द्वारा अथवा इसके अंतर्गत प्रदत्त ऐसी प्रशासनिक शक्तियों और सौंपे गए कर्तव्यों को, अंचलाधिकारी से अन्यून पद के किसी अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

5.7 इस नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सभी अधिकारी और कर्मचारी पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक के अधीनस्थ होंगे, सिवाय कि अन्यथा कथित हो।

5.8 राज्य सरकार, इस नीति के तहत पुनर्स्थापन और पुनर्वास के सभी मामलों के लिए सरकार के आयुक्त अथवा समकक्ष स्तर के किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी जिसे पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त कहा जाएगा।

- 5.9 इस नीति के प्रयोजन के लिए, प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के प्रयोजन के लिए नियुक्त पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक तथा अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त के अधीनस्थ होंगे।
- 5.10 पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजनाओं अथवा स्कीमों को तैयार करने तथा ऐसी स्कीमों अथवा योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 5.11 राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा इस नीति के क्रियान्वयन हेतु अपने कार्यों को यथायोग्य प्रत्यायोजित कर सकेगी।

अध्याय – VI

6. पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना

- इस अध्याय में उल्लेख की गई प्रक्रिया का प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करने, सर्वेक्षण करने, प्रभावित व्यक्तियों की गणना करने, उपलब्ध सरकारी भूमि तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए व्यवस्था की जाने वाली भूमि का आकलन करने, पुनर्स्थापन क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा करने, प्रारूप पुनर्स्थापन और पुनर्वास स्कीम या योजना तैयार करने अथवा इसका अंतिम रूप से प्रकाशन करने से संबंधित सभी मामलों में अनुसरण किया जाएगा।
- 6.1 जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी परियोजना के लिए भूमि के अर्जन अथवा किसी अन्य कारणवश सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में एक सौ अथवा अधिक परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन की संभावना है, तो वह एस0आई0ए0 स्वीकृति के 15 दिनों के अन्दर आदेश के माध्यम से गाँवों के क्षेत्र अथवा स्थानों को प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगी।
- 6.2 इस नीति के पैरा 6.1 के अंतर्गत की गई प्रत्येक घोषणा को कम से कम तीन दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जिनमें से कम से कम दो हिन्दी भाषा में होंगे, जिनका प्रचालन गाँवों में अथवा उन क्षेत्रों में होता हो, जिनके प्रभावित होने की संभावना है और घोषणा की सूचना डुगडुगी बजाकर तथा आदेश की एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं के नोटिस बोर्ड पर, ग्रामसभा एवं पंचायत कार्यालयों व प्रभावित क्षेत्र और साथ ही पुनर्स्थापन क्षेत्र में भी अन्य प्रमुख स्थान अथवा

स्थानों पर लगाई जाएगी और किसी अन्य ढंग से प्रदर्शित की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया जाए।

- 6.3 इस नीति के पैरा 6.1 के अंतर्गत घोषणा किए जाने पर, पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों तथा परिवारों की पहचान करने के लिए आधारमूलक (बेसलाइन) सर्वेक्षण और गणना आयोजित करेगा।
- 6.4 ऐसे प्रत्येक सर्वेक्षण में प्रभावित परिवारों के बारे में निम्नानुसार ग्राम-वार सूचना दी जाएगी :-

- (i) परिवार के वे सदस्य जो प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं (कब से रह रहे हैं, की सूचना सहित), किसी व्यापार, कारोबार, व्यवसाय अथवा पेशे में लगे हुए हैं;
- (ii) वे परिवार, जिनका मकान, कृषि भूमि, रोजगार समाप्त हो गया है अथवा समाप्त होने की संभावना है अथवा अपने व्यापार, कारोबार, व्यवसाय अथवा पेशे के मुख्य स्रोत से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वंचित हो गए हैं ;
- (iii) कृषि श्रमिक अथवा गैर-कृषि श्रमिक ;
- (iv) अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों, आदिम जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों से संबंधित परिवार;
- (v) भेद्य व्यक्ति जैसे कि विकलांग, निराश्रित, अनाथ, विधवाएं, अविवाहित लड़कियां, परित्यक्त महिलाएं अथवा ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है, जिन्हें वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध नहीं कराई गई है अथवा तत्काल उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है और जो अन्यथा परिवार के भाग के रूप में शामिल नहीं होते हैं ;
- (vi) ऐसे परिवार, जो भूमिहीन हैं (जिनकी कोई वासभूमि, कृषि भूमि अथवा या तो वास भूमि अथवा कृषि भूमि नहीं है) तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, किन्तु प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पहले प्रभावित क्षेत्र में कम-से-कम गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 (पन्द्रह) वर्ष एवं अनुसूचित क्षेत्र में 30 (तीस) वर्षों से अन्यून अवधि से लगातार रह रहे हैं तथा जो संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित हो; और

- (vii) अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों तथा अन्य वन क्षेत्र में बसे लोग के ऐसे परिवार, जिनके कब्जे में प्रभावित क्षेत्र में 13 दिसम्बर, 2005 से पहले वन भूमि थी।
- 6.5 पैरा 6.4 के अंतर्गत किए जाने वाले प्रत्येक सर्वेक्षण को शीघ्रता से और पैरा 6.1 के अंतर्गत की गई घोषणा की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।
- 6.6 उपर्युक्त सर्वेक्षण के पूरा हो जाने पर सात दिनों के अन्दर पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक, आदेश द्वारा, सर्वेक्षण के निष्कर्षों के विवरण का मसौदा ऐसे ढंग से प्रकाशित करेगा, जिससे कि प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को इसकी सूचना प्राप्त हो सके तथा उससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करेगा। इस प्रारूप की प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार के द्वारा स्थानीय तौर पर सभी को जानकारी दी जाएगी। इसकी एक प्रति ग्रामसभा एवं पंचायत कार्यालयों में रखी जायेगी जिसकी प्रति आमलोगों के माँगे जाने पर उपलब्ध होगी।
- 6.7 सर्वेक्षण के ब्यौरों के मसौदे के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की अवधि समाप्त हो जाने पर और इस संबंध में उसे प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर अगले 15 दिनों के अन्दर पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक, सर्वेक्षण के ब्यौरों के साथ उसके संबंध में अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा इसकी एक प्रति आम सूचना हेतु संबंधित ग्रामसभा तथा पंचायत को भेजी जायेगी।
- 6.8 पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक के सर्वेक्षण और सिफारिशों के ब्यौरे प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार सर्वेक्षण के अंतिम ब्यौरों को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी।
- 6.9 पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए, सर्वेक्षण के ब्यौरों के राजपत्र के प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर आदेश के द्वारा किसी क्षेत्र (अथवा क्षेत्रों) को पुनर्स्थापन क्षेत्र (क्षेत्रों) के रूप में घोषित करेगा। पुनर्स्थापन क्षेत्र (क्षेत्रों) परियोजना टाउनशिप में अथवा परियोजना टाउनशिप के सटे हुए होगा।
- 6.9.1 पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त के द्वारा यथा अनुमोदित पुनर्स्थापन कार्य के पूरा होने के पूर्व कोई भौतिक विस्थापन नहीं किया जाएगा। पुनर्स्थापन कार्य के संपन्न होने का प्रमाण पत्र पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक द्वारा संबंधित ग्रामसभा से परामर्श कर

निर्गत किया जाएगा। परन्तु प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन हेतु ऐसी भूमि का उपयोग किया जा सकेगा जहाँ भवन आदि अवस्थित न हों।

- 6.10 पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रभावित परिवार, जहां तक संभव हो, ऐसे पुनर्स्थापन क्षेत्रों में समूह अथवा समूहों में स्थापित हो। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना है कि प्रभावित परिवारों को मेजबान समुदाय के साथ समानता और आपसी समझ-बूझ के साथ पुनर्स्थापित किया जाए, जो कि प्रत्येक समूह की अपनी पहचान तथा संस्कृति के संरक्षण के लिए उनकी इच्छा के समनुरूप हो। प्रभावित परिवारों द्वारा धारित भूमि के स्वामित्व के कागजात की वैधता पुनर्स्थापन होने एवं नई भूमि के स्वामित्व के कागजात प्राप्त होने तक बनी रहेगी।
- 6.11 उपर्युक्त पैरा 6.9 के प्रयोजनों के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक, उन भूमि की एक सूची तैयार करेगा, जो प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए उपलब्ध हो सकती हो।
- 6.12 पैरा 6.11 के अंतर्गत भूमि की तैयार की गई सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होगा :—
- (क) परियोजना के लिए उपलब्ध अथवा अर्जित भूमि और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि;
 - (ख) सरकारी बंजर भूमि और कोई अन्य भूमि, जो सरकार में विहित हो तथा प्रभावित परिवारों के लिए आबंटन हेतु उपलब्ध हो;
 - (ग) पुनर्स्थापन और पुनर्वास स्कीम अथवा योजना के प्रयोजनार्थ खरीद अथवा अर्जन के लिए उपलब्ध भूमि; अथवा
 - (घ) उपरोक्त एक अथवा अधिक को मिलाकर।
- तथापि, पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि के ऐसे अर्जन के द्वारा वास्तविक रूप से अन्य परिवार तो विस्थापित नहीं होते हैं।
- 6.13 पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक राज्य सरकार की ओर से उपरोक्त पैरा 6.12 (ख) की अंतर वस्तु को ध्यान में रखते हुए पुनर्स्थापन और पुनर्वास स्कीम अथवा योजना के प्रयोजनों के लिए सहमति निर्णय के जरिए या तो किसी व्यक्ति से भूमि खरीद सकता है और इस प्रयोजन के लिए करार कर सकता है अथवा भूमि के अर्जन के लिए राज्य सरकार को कह सकता है।

6.14.1 पैरा 6.3 और पैरा 6.12 में उल्लेख किए गए अनुसार प्रभावित परिवारों के आधारिक सर्वेक्षण और गणना तथा पुनर्स्थापन के लिए भूमि की आवश्यकता के आकलन का कार्य पूरा होने के पश्चात् पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक महिलाओं सहित प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधियों के साथ तथा अर्जनकारी निकाय के प्रतिनिधि के साथ परामर्श करने के पश्चात् प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए स्कीम या योजना का प्रारूप तैयार करेगा।

6.14.2 (i) पुनर्स्थापन और पुनर्वास स्कीम अथवा योजना के प्रारूप में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होगा, यथा :-

- (क) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल और प्रभावित गाँवों के नाम;
- (ख) प्रभावित व्यक्तियों की ग्राम-वार, परिवार-वार सूची उम्र सहित, प्रभावित क्षेत्र में उनके कब्जे में अथवा उनके स्वामित्व में भूमि और अचल संपत्ति की मात्रा और स्वरूप, और ऐसी भूमि और अचल संपत्ति की सर्वेक्षण संख्या का उल्लेख करते हुए, उसकी मात्रा और स्वरूप, जिसकी उनके द्वारा खोने की संभावना है अथवा जो खो गई है;
- (ग) ऐसे क्षेत्र में कृषि श्रमिकों की सूची और ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनकी आजीविका कृषि कार्यकलापों पर निर्भर है ;
- (घ) ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनका रोजगार अथवा आजीविका समाप्त हो गई है अथवा समाप्त होने की संभावना है अथवा जो पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से अपने व्यापार, कारोबार, व्यवसाय अथवा पेशे से अपने मूल स्रोत से, परियोजना के लिए भूमि के अर्जन के फलस्वरूप अथवा किसी अन्य कारण से अनैच्छिक विस्थापन के फलस्वरूप, वंचित हो गए हैं, अथवा वंचित होने की संभावना है ;
- (ङ.) ऐसे क्षेत्र में शिल्पकारों सहित गैर-कृषि श्रमिकों की सूची ;
- (च) बिना वास भूमि वाले और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों सहित प्रभावित भूमिहीन परिवारों की सूची; पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक ग्राम सभा से विमर्श कर गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को सूची में शामिल किया जाना सुनिश्चित करेगा।

- (छ) भेद्य प्रभावित व्यक्तियों की सूची, जैसा कि पैरा 6.4 (V) में वर्णित है ;
- (ज) अधिभोगियों की सूची, यदि कोई हो;
- (झ) जन-सुविधाओं और सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित हैं, अथवा जिनके प्रभावित होने की संभावना है।
- (ञ) सार्वजनिक और सामुदायिक संपत्तियों, परिसंपत्तियों और अवसंरचना का विवरण;
- (ट) उन लाभों और पैकेजों की सूची जो प्रभावित परिवारों को प्रदान किए जाने हैं;
- (ठ) प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और भूमि के आबंटन के लिए पुनर्स्थापन क्षेत्र में उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल का ब्योरा;
- (ड) उन सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं का ब्योरा, जिन्हें पुनर्स्थापन के लिए प्रदान किया जाना है;
- (ढ) विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापन क्षेत्र में स्थानांतरित करने और बसाने की समय सूची ;
- (ण) परियोजना प्रभावित क्षेत्र में पड़ने वाले सेवा भूमि जैसे पहनई, महतोई, मुण्डई, प्रधानी अथवा छोटानागपुर एवं संधाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सेवा भूमि;
- (त) प्रभावित परिवारों के सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता; और
- (थ) परियोजना में उपलब्ध रोजगार के अवसर और उसकी पात्रता की योग्यता;
- (द) ऐसा अन्य विवरण, जिसे पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक आवश्यक समझे।
- 6.14.2(ii) पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक द्वारा प्रत्येक प्रभावित परिवार के सदस्य को संबंधित ग्रामसभा द्वारा सम्पुष्टि के उपरान्त फोटो पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा।
- 6.14.3 प्रभावित क्षेत्र और पुनर्स्थापन क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में स्कीम या योजना के प्रारूप का व्यापक प्रचार करके स्थानीय तौर पर उस तरह से जानकारी दी जाएगी जैसा कि पारा 6.2 में वर्णित है।

- 6.15.1 पुनर्स्थापन और पुनर्वास संबंधी स्कीम या योजना के प्रारूप पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं में और उन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर ग्राम सभाएं मौजूद न हों, जन सुनवाईयों में विचार-विमर्श किया जाएगा।
- 6.15.2 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा अथवा पंचायतों के साथ समुचित स्तर पर परामर्श पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों के अनुसार होगा।
- 6.15.3 अनुसूचित क्षेत्रों में 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामलों में जनजातीय सलाहकार परिषद् से परामर्श किया जाएगा।
- 6.16 पैरा 6.14 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार स्कीम या योजना का प्रारूप तैयार करते समय पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्स्थापन और पुनर्वास स्कीम या योजना की सम्पूर्ण अनुमानित लागत उस परियोजना की लागत का एक अभिन्न भाग बनता है जिसके लिए भूमि का अर्जन किया जा रहा है। पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभों पर होने वाला पूर्ण व्यय तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास पर होने वाला अन्य व्यय उस अर्जनकारी निकाय द्वारा वहन किया जाएगा जिसके लिए भूमि का अर्जन किया जा रहा है। पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभों की सम्पूर्ण अनुमानित लागत और प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए अन्य व्यय के बारे में इसे परियोजना लागत में शामिल करने हेतु अर्जनकारी निकाय को सूचित कर दिया गया है।
- 6.17 पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक, पुनर्स्थापन और पुनर्वास के स्कीम या योजना के प्रारूप को अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। ऐसी परियोजना के मामले में जिसमें भूमि का अर्जन, अर्जनकारी निकाय की ओर से किया जाना शामिल है, इसे स्वीकृति दिए जाने से पूर्व अर्जनकारी निकाय की सहमति सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा कि इस नीति के अंतर्गत यथा अपेक्षित आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक द्वारा सूचित किए गए अनुसार पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभों की सम्पूर्ण लागत और पुनर्स्थापन और

- पुनर्वास के लिए अन्य व्यय को वहन करने के लिए अर्जनकारी निकाय सहमत हो गया है।
- 6.18 पुनर्स्थापन और पुनर्वास स्कीम या योजना को स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् राज्य सरकार इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी। पुनर्स्थापन और पुनर्वास स्कीम या योजना की अंतिम अधिसूचना के पश्चात् यह लागू हो जाएगी।
- 6.19 पुनर्स्थापन और पुनर्वास स्कीम या योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक को पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व अर्जनकारी निकाय का होगा। पुनर्स्थापन और पुनर्वास स्कीम या योजना को जैसे ही अंतिम रूप दिया जाता है अर्जनकारी निकाय पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक के पास पुनर्स्थापन और पुनर्वास स्कीम या योजना के नगद अवयव की समतुल्य राशि जमा करायेगा।
- 6.20 पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक उसके अधिकार के अंतर्गत सौंपी गई निधियों के संबंध में लेखों के समुचित खाते और रिकार्ड रखेगा तथा इस संबंध में अधियाची निकाय एवं राज्य सरकार को आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा।
- 6.21 ऐसी परियोजना के मामले में, जिसमें भूमि अर्जन, अर्जनकारी निकाय की ओर से किया जाना शामिल है, भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए फास्ट-ट्रैक एक्सरसाईज भूमि अर्जन की प्रक्रियाओं के साथ-साथ की जाएगी। ऐसे व्यक्ति जिसे अद्यतन अभिलेखों के अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना (अथवा उस समय प्रवृत्त संघ अथवा किसी राज्य के किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत ऐसी अधिसूचना, जिसके अंतर्गत भूमि अर्जन किया जा रहा हो) के जारी होने की तारीख से पूर्व कोई अधिकार प्राप्त है, को उक्त अधिसूचना में उल्लिखित मूल भू-स्वामियों के साथ-साथ समानुपात में प्रतिकर अधिकार प्राप्त होगा। प्रशासक, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए कुछ पदाधिकारियों का मनोनयन किया जाएगा।
- 6.22 ऐसी परियोजना के मामले में, जिसमें भूमि अर्जन, अर्जनकारी निकाय की ओर से किया जाना शामिल है :-

प्रतिकर अधिनिर्णय प्रभावित परिवारों के विस्थापन से काफी समय पहले घोषित किया जाना चाहिए। प्रभावित परिवारों को प्रतिकर की पूर्ण राशि की अदायगी तथा पूर्ण पुनर्स्थापन वास्तविक विस्थापन से पूर्व सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- 6.23 ऐसी परियोजनाओं के मामले में, जिनमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन शामिल है और यदि अर्जनकारी निकाय एक ऐसी कम्पनी है जिसे शेयर और डिवेन्चर जारी करने का प्राधिकार प्राप्त है, तो ऐसे प्रभावित परिवारों, जो अर्जित की गई भूमि या अन्य सम्पत्ति के लिए प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार हैं, को अपने पुनर्वास अनुदान की राशि के पच्चास प्रतिशत तक की राशि के अर्जनकारी निकाय के शेयर और डिवेन्चर अथवा दोनों को लेने का विकल्प दिया जायेगा।

परन्तु यह कि प्रभावित परिवारों द्वारा शेयर/डिवेन्चर में किये गये निवेश को वापस लेने का विकल्प होगा, ऐसे में अर्जनकारी निकाय द्वारा उसकी व्यवस्था की जायेगी, जो किये गये निवेश से कम नहीं होगा।

- 6.24.1 किसी परियोजना के लिए अनिवार्यतः अर्जित की गई भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए अंतरित नहीं किया जा सकता है और यह अंतरण राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बाद किया जाएगा।

- 6.24.2 यदि किसी परियोजना अथवा उसके अंश के लिए अनिवार्यतः अर्जित की गई भूमि अर्जनकारी निकाय द्वारा कब्जे में लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक परियोजना के लिए आंशिक रूप से एवं पन्द्रह वर्षों की अवधि तक पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लायी जाती है, तो उस भूमि को उसके अर्जनकारी निकाय को कोई प्रतिकर या क्षतिपूर्ति की अदायगी किए बिना ही राज्य सरकार के कब्जे में और स्वामित्व में वापस कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा तत्पश्चात् उस भूमि पर अन्य उपयोगी परियोजना स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा एवं ऐसा नहीं हो पाने की स्थिति में भूमि प्रभावित परिवारों को वापस कर दी जायेगी।

अर्जनकारी निकाय को अधिगृहित भूमि को विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा।

- 6.25 जब कभी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित की गई भूमि को किसी व्यक्ति या संगठन (चाहे निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र में) को किसी प्रतिफल के लिए अंतरित किया जाता है, तो अंतरितक को इस तरह से उदभूत किसी निवल अनर्जित आय के अस्सी प्रतिशत भाग को उन व्यक्तियों में जिनकी भूमि अर्जित की गई

थी या उनके उत्तराधिकारियों के बीच उस मूल्य के अनुपात में बांटा जाएगा, जिस पर भूमि अर्जित की गई थी। इस निधि को अलग खाते में रखा जाएगा, जिसका संचालन उस तरह से किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

- 6.26 परियोजना प्राधिकारी के लिए हमेशा यह विकल्प रहेगा कि वह इस नीति में वर्णित स्तर चिन्ह/दिशा-निर्देश से बेहतर पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पैकेज समर्पित करे।

अध्याय— VII

7. प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ:

- 7.1 पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ उन सभी प्रभावित परिवारों, जो पैरा 6.1 के अंतर्गत घोषणा के प्रकाशन की तारीख को प्रभावित परिवार के रूप में पात्र हों, को दिये जाएंगे और उक्त तारीख के पश्चात् परिवार में परिसम्पत्तियों के किसी बंटवारे पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 7.2 ऐसे किसी भी प्रभावित परिवार, जिसके पास अपना घर हो और जिसका घर अधिगृहीत कर लिया गया हो या वह अपना घर खो चुका हो, को प्रत्येक एकल परिवार के लिए अर्जित किए गए या क्षति हो चुके वास्तविक आवासीय भूमि के क्षेत्र की सीमा तक, परन्तु यह भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 डीसमिल या शहरी क्षेत्रों में 05 डीसमिल, जैसा भी मामला हो, से अधिक नहीं होगी, आवास के लिए बिना किसी लागत के आबंटित की जाएगी।

अर्जनकारी निकाय द्वारा आबंटित आवासीय स्थल में एक पक्का घर बनाया जाएगा जिसमें दो शयन कक्ष, एक ड्राईंग कक्ष, एक रसोई घर तथा एक शौचालय हो तथा जिसका विस्तार क्षेत्र (कारपेट एरिया) 100 वर्गमीटर हो।

परन्तु यह कि शहरी क्षेत्रों में उपर्युक्त के बदले एक सौ वर्ग मी0 के विस्तार क्षेत्र (कारपेट एरिया) में घर उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे घर, यदि आवश्यक हो, के लिए बहुमंजिला भवन (कॉम्प्लैक्स) में प्रस्ताव किया जा सकता है।

परन्तु पुनः वैसे प्रभावित परिवार जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में 10 डीसमिल अथवा शहरी क्षेत्र में 5 डीसमिल से कम, जैसा भी मामला हो, आवासीय भूमि अर्जित की गयी हो, को आवासीय उद्देश्य से न्यूनतम 150 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही उस भूमि पर एक पक्का निर्मित घर भी मुहैया कराया जाएगा जिसका कारपेट क्षेत्रफल

अर्जित आवास के क्षेत्रफल के बराबर अथवा न्यूनतम 55 वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो, होगा बशर्ते यह 100 वर्ग मीटर की सीमा के अंतर्गत रहेगा।

परन्तु यह कि यदि कोई परिवार पुनर्स्थापन क्षेत्र में निर्मित घर नहीं लेना चाहता है अथवा अन्यत्र स्वयं वासित होना चाहता है, ऐसे परिवारों को एकमुश्त तीन लाख रुपये वित्तीय सहायता दी जायगी।

7.3 गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के प्रत्येक परिवार, जिसके पास वासभूमि नहीं हो और जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 वर्षों से एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 30 वर्षों से लगातार रह रहा हो और इस क्षेत्र से अनैच्छिक रूप से विस्थापित हुआ हो, को पुनर्स्थापन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 55 वर्ग मीटर के विस्तार क्षेत्र (कारपेट एरिया) वाला, या शहरी क्षेत्रों में 55 वर्ग मीटर विस्तार क्षेत्र वाला, (जिसका प्रस्ताव, जहां लागू हो, बहु मंजिले भवन में किया जा सकता है) जैसा भी मामला हो, घर मुहैया कराया जा सकता है।

ऐसे गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के परिवारों के लिए बहु मंजिले भवनों का निर्माण कराया जा सकता है जिसमें भूतल पर आच्छादित क्षेत्रफल अधिकतम 50 प्रतिशत ही हो।

परन्तु यह कि ऐसा कोई परिवार, जो प्रस्तावित घर नहीं लेने के विकल्प का चयन करता है, गृह निर्माण के लिए एक बार दी जाने वाली वित्तीय सहायता दो लाख रुपये प्राप्त करेगा।

7.4 प्रत्येक ऐसे प्रभावित परिवार जिसे सरकारी भूमि नहीं दी जा सके अथवा प्राप्त न करे, भूमि अर्जन के कारण खोई भूमि का 1/10वाँ अंश प्रस्तावित परियोजना टाउनशिप अथवा इसके सटे हुए क्षेत्र में प्राप्त कर सकेगा। इसमें आबंटित वास भूमि के क्षेत्रफल को घटाने के पश्चात् देय भूमि की गणना की जायेगी, लेकिन यह भूमि 50 डीसमिल से अधिक नहीं होगी।

7.5 ऐसी परियोजना, जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन शामिल हो, के मामले में प्रभावित परिवारों को आबंटित की गई भूमि अथवा घर के पंजीकरण के लिए अदा की जानेवाली स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्कों का वहन अर्जनकारी निकाय द्वारा किया जाएगा।

- 7.6 इस नीति के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को आबंटित भूमि या घर सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त होंगे।
- 7.7 इस नीति के अन्तर्गत प्रभावित परिवारों को आबंटित भूमि या घर प्रभावित परिवार के पति और पत्नी के संयुक्त नाम से होंगे। साथ ही, मौद्रिक राशि का भुगतान पति और पत्नी के नाम से खोले गये संयुक्त खाते के माध्यम से किया जायेगा।
- 7.8 ऐसा प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, जो विस्थापित हुआ हो, तथा जिसके पास पशु हो, पशु-शाला के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के रूप में पैंतीस हजार रुपये की राशि प्राप्त करेगा।
- 7.9 ऐसा प्रत्येक प्रभावित परिवार, जो विस्थापित हुआ हो, अपने परिवार, भवन निर्माण सामग्री, अपने सामान तथा पशुओं के स्थानांतरण के लिए एक बार दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में पन्द्रह हजार रुपये प्राप्त करेगा।
- 7.10 ऐसा प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति जिसकी पक्की दुकान अथवा गुमटी है जिससे वे व्यवसाय करता है और विस्थापित हुआ है, कार्य शेड या दुकान के निर्माण के लिए एक बार दी जानेवाली वित्तीय सहायता के रूप में पचास हजार रुपये प्राप्त करेगा।
- 7.11.1 ऐसी परियोजना, जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन शामिल हो, के मामले में :-
- (क) वैसे प्रभावित परिवार जिन्होंने परियोजना में भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई भूमि खोई है, के मामलों में अर्जनकारी निकाय प्रति एकल परिवार कम से कम एक अहर्ता प्राप्त व्यक्ति को अनिवार्य रूप से परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। यदि अतिरिक्त नियोजन के अवसर उपलब्ध हों तो विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- वैसे प्रभावित परिवार जिन्होंने भू-अर्जन से सभी कृषि भूमि एवं वास भूमि खोया है, को रोजगार उपलब्ध कराने में उच्चतम प्राथमिकता दी जायगी। प्रशासक, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नियोजन उपलब्ध कराने में ग्राम सभा एवं अधियाची इकाई के परामर्श से प्राथमिकता का निर्धारण करेगा।
- (ख) जहाँ कहीं अपेक्षित हो, अर्जनकारी निकाय प्रभावित व्यक्तियों के तकनीकी/व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करेगा ताकि ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर परियोजना में उपयुक्त कार्य के लिए सक्षम बनाया जा सके।

- (ग) अर्जनकारी निकाय प्रभावित परिवारों से पात्र व्यक्तियों को सहायता वृत्तियाँ और अन्य कौशल विकास सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदंड के अनुसार उपलब्ध करायेगा।
- (घ) अर्जनकारी निकाय बाहरी संविदाओं, दुकान के आबंटन में अथवा परियोजना स्थल के भीतर या आस पास उत्पन्न होनेवाले आर्थिक अवसरों में प्रभावित व्यक्तियों या उनके समूहों या सहकारिताओं को प्राथमिकता देगा।
- (ङ) अर्जनकारी निकाय निर्माण चरण के दौरान परियोजना में श्रमिकों को लगाने के समय पर इच्छुक भूमिहीन श्रमिकों तथा बेरोजगार प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा।
- (च) यदि प्रभावित परिवारों के नामित सदस्य अन्यथा नियोजन हेतु पात्र हों तो आयु की ऊपरी सीमा दस वर्ष तक शिथिल कर दी जाएगी,
- (छ) उपलब्धता एवं उपयुक्तता के अधीन समस्त अकुशल नये रोजगार तथा परियोजना में सृजित अर्द्धकुशल नियोजन परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्यों को दी जायेगी।
- (ज) अर्जनकारी निकाय का यह दायित्व होगा कि परियोजना में सभी स्तरों पर नियोजन में स्थानीय को यथा संभव प्राथमिकता दिया जाए।
- (झ) नियोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक प्रभावित परिवार ऐसे परिवार के एक सदस्य को नामित करेगा।
- (ञ) यदि प्रभावित परिवार के व्यक्ति की परियोजना में नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को परियोजना में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जायेगी।
- 7.11.2 प्रभावित व्यक्तियों को स्व-रोजगार के लिए उद्यमशीलता, तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता के विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
- 7.12 ऐसी परियोजना, जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन किया जाना शामिल है, के मामले में वैसे प्रभावित परिवार, जिन्हें रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है अथवा जो नियोजन के प्रति इच्छुक नहीं हैं, के लिए वैसी वार्षिक पॉलिसियों की व्यवस्था की जाएगी जिससे वैसे प्रभावित परिवार को कम से कम एक हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति माह की राशि (राशि नजदीकी सौ रुपये में) विस्थापन की तिथि से तीस वर्षों तक प्राप्त होती रहेगी, अथवा जब तक प्रभावित परिवार को रोजगार उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है।

परन्तु यह कि यदि भूमि अर्जन एक एकड़ से कम हो अथवा प्रभावित परिवार द्वारा भूमि अर्जन में कोई भूमि नहीं खोई गई हो, तो प्रभावित परिवार कम से कम एक हजार रुपये प्रति माह प्राप्त करेगा।

बारह हजार रुपये प्रतिवर्ष की इस राशि में प्रत्येक दो वर्षों पर पांच सौ रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी।

परन्तु यह कि इस वार्षिक पॉलिसी के अधीन अधिकतम राशि प्रति माह दस हजार रुपये प्रति प्रभावित परिवार तक सीमित होगी।

7.13.1 राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम/प्राधिकार/पर्षद/निगम/एजेन्सी की परियोजनाओं को छोड़कर अन्य व्यवसायिक परियोजनाओं के मामलों में, परियोजना इकाई के वार्षिक शुद्ध आय का एक प्रतिशत, मौद्रिक रूप से, अर्जनकारी निकाय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रभावित परिवारों के बीच पैरा 7.13.2 के अनुसार वितरित किया जायेगा अथवा प्रभावित परिवार के निधन की स्थिति में यह राशि उनके द्वारा नामित व्यक्ति/वैध वारिस को देय होगी। यह राशि वार्षिक वित्तीय परिणाम की घोषणा के तीन माह के अन्दर प्रभावित परिवारों को मुहैया करायी जाएगी।

यदि प्रभावित परिवारों से अधिगृहित की गयी भूमि परियोजना की कुल भूमि का एक अंश मात्र हो, तो परियोजना की शुद्ध आय के एक प्रतिशत का समानुपातिक हिस्सा (प्रभावित परिवारों से अर्जित भूमि के क्षेत्रफल एवं कुल परियोजना भूमि क्षेत्रफल के अनुपात में) प्रभावित परिवारों के बीच पैरा 7.13.2 के अनुसार वितरित किया जायेगा।

7.13.2 किसी प्रभावित परिवार को पैरा 7.13.1 के तहत दी जाने वाली राशि की गणना के उद्देश्य से, वैसे प्रभावित परिवार जिन्होंने परियोजना के लिए भूमि खोई है और जो एक एकड़ से अधिक नहीं है, को खोई गई भूमि के क्षेत्रफल (एकड़ में) के चार गुणा के बराबर अंक आबंटित किए जायेंगे। परियोजना के लिए भू-अर्जन के कारण प्रभावित परिवार के द्वारा एक एकड़ से अधिक भूमि खोने की स्थिति में, अतिरिक्त भूमि के क्षेत्रफल (एकड़ में) के बराबर अतिरिक्त अंक आबंटित किये जायेंगे। किंतु किसी भी प्रभावित परिवार को अधिकतम 18 (अठारह) अंक ही आवंटित किए जा सकेंगे। इस प्रकार परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवंटित कुल अंकों को जोड़ने पर परियोजना अथवा उसके अंश के लिए कुल अंकों की गणना प्राप्त होगी। पैरा 7.13.1 के तहत परियोजना अथवा उसके अंश के लिए उक्त प्रकार से गणित एक प्रतिशत

शुद्ध आय की राशि अथवा समानुपातिक राशि को परियोजना के कुल अंकों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा एवं तदोपरांत प्रत्येक प्रभावित परिवार को उसे अर्जित अंक के अनुपात में राशि मुहैया करायी जाएगी।

- 7.14 ऐसी परियोजना के मामले में, जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन करना शामिल है, ऐसा प्रत्येक प्रभावित परिवार, जिसका अनैच्छिक विस्थापन हुआ हो, विस्थापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति माह पच्चीस दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर मासिक जीविका भत्ता प्राप्त करेगा।

प्रभावित परिवारों, जिन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया हो, को 600 (छः सौ) दिनों के समतुल्य कृषि मजदूरी भी दी जायेगी।

- 7.15. परियोजना प्राधिकारी, अपनी लागत पर ऐसी वार्षिक पॉलिसियों की व्यवस्था करेंगे, जिसमें भेद्य प्रभावित व्यक्तियों को एक हजार पाँच सौ रुपये प्रति माह की राशि जीवनभर पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।

- 7.16 प्रभावित परिवारों को पैरा 7.2 से 7.18 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक लाभों, (पारा 7.13.1 एवं 7.15 को छोड़कर) के स्थान पर निर्धारित की गई राशि, जिसका निर्धारण प्रशासक द्वारा किया जाएगा, एक-मुश्त रूप में लेने का विकल्प दिया जा सकता है।

- 7.17 अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों से संबंधित परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ:

- 7.18.1 ऐसी परियोजना के मामले में जिनमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि का अर्जन करना शामिल है और जिसमें 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है, तो भूमि अर्जन के साथ-साथ विशेष अभियान चलाकर प्राप्य उन भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने, जिन्हें अभी सुनिश्चित नहीं किया गया है तथा अंतरित भूमि पर जनजातीय लोगों के स्वामित्व अधिकार बहाल करने के लिए विनिर्धारित किए जाने वाले स्वरूप में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हुए एक जनजातीय विकास योजना तैयार की जाएगी। इस योजना में पाँच वर्षों की अवधि के भीतर उन जनजातीय समुदायों, जिन्हें वनों से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रखा गया है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वैकल्पिक ईंधन, चारा, और गैर-इमारती लकड़ी आदि जैसे वन उत्पाद (एन टी एफ पी) संसाधनों के विकास के लिए कार्यक्रम भी शामिल होगा।

- 7.18.2 प्रभावित परिवारों से भूमि अर्जन किए जाने के किसी भी मामले में, उन्हें प्राप्य प्रतिकर की राशि का कम से कम एक-तिहाई भाग प्रारंभ में प्रथम किस्त के रूप में अदा किया जाएगा और शेष राशि भूमि का कब्जा लेने के समय पर अदा की जाएगी।
- 7.18.3 प्रभावित अनुसूचित जनजातीय परिवारों को जहाँ तक संभव हो, उसी अनुसूचित क्षेत्र में एक सुसंहत खण्ड में पुनः बसाया जाएगा ताकि वे अपनी जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को कायम रख सकें। अपवादों को केवल ऐसे विरल मामलों में ही अनुमति दी जाएगी जिनमें भूमि अर्जन वाली परियोजना के मामले में अर्जनकारी निकाय अथवा अनैच्छिक विस्थापन के अन्य मामलों में राज्य सरकार ऐसी भूमि का उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से भूमि मुहैया कराने में असमर्थ हो।
- 7.18.4 ऐसे पुनर्स्थापन क्षेत्रों में जिनमें मुख्यतया अनुसूचित जनजातीय लोगों की बसावट हो, वहाँ पर सामुदायिक/धार्मिक सभाओं के लिए भूमि बिना लागत के मुहैया करायी जाएगी।
- 7.18.5 ऐसी परियोजना के मामले में जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि का अर्जन करना शामिल है, ऐसे प्रभावित अनुसूचित जनजातीय/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के परिवार, जिन्हें जिले के बाहर पुनर्स्थापित किया गया है, को पैरा 7.8, 7.9, तथा 7.10 में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ मौद्रिक रूप में पच्चीस प्रतिशत अधिक प्राप्त करेंगे।
- 7.18.6 भूमि अंतरण के संबंध में उस समय प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करके किए गए जनजातीय लोगों की भूमि के किसी अंतरण को जो सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित हो, निष्प्रभावी माना जाएगा। ऐसी भूमि के अर्जन के मामले में पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ केवल भूमि के मूल जनजातीय भू-स्वामी को ही दिए जाएंगे।
- 7.18.7 जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में प्रभावित परिवारों, जिन्हें प्रभावित क्षेत्र में नदी या तालाब या बांध में मछली पकड़ने के अधिकार प्राप्त थे, को जल-विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में स्थित जलाशयों में मछली पकड़ने के अधिकार दिए जाएंगे।
- 7.18.8 वे प्रभावित अनुसूचित जनजातीय/अनुसूचित जातीय/अन्य वन क्षेत्र में बसे परिवार भी, जिनके कब्जे में 13 दिसम्बर, 2005 के दिन से पूर्व प्रभावित क्षेत्र में वन भूमि थी, इस नीति के अंतर्गत पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

7.19 पुनर्स्थापन क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाने वाली उन्मुक्तियां तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएँ :-

- 7.19.1 किसी भी क्षेत्र में 100 परिवारों या इससे अधिक परिवारों के सामूहिक रूप में अनैच्छिक विस्थापन के सभी मामलों में पुनर्स्थापन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विस्तृत आधारिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा उन्मुक्तियां उपलब्ध करायी जाएंगी। इस प्रकार की सुविधाओं और उन्मुक्तियों में अन्य बातों के साथ-साथ सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, जल निकास, सफाई, शुद्ध पेयजल स्रोतों, पशुओं के लिए पेयजल स्रोतों, सामुदायिक तालाब, चरागाह भूमि, चारे के लिए भूमि, पौधरोपण (सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी) उचित दर दुकानें, पंचायत घर, सहकारी समितियाँ, सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे की डाकघर, बीज-सह-उर्वरक भंडार, सिंचाई, बिजली, स्वास्थ्य केन्द्र, शिशु-माता अनुपूरक पौषणिक सेवाएं, बच्चों के लिए खेल मैदान, पार्क, सामुदायिक केन्द्र, प्रशिक्षण हेतु संस्थागत व्यवस्था, पूजा-स्थल, परम्परागत जनजातीय संस्थाओं के लिए भूमि, कब्रगाह/श्मशान भूमि तथा सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल होंगी।
- 7.19.2 किसी भी क्षेत्र में सामूहिक रूप से 100 से कम परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में, सभी प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार पुनर्स्थापन क्षेत्र में आधारिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं और उन्मुक्तियाँ उपलब्ध करायी जाएंगी। यह वांछनीय होगा कि अन्य बातों के साथ-साथ पेयजल, बिजली, स्कूलों, औषधालयों की व्यवस्था तथा पुनर्स्थापन स्थलों पर पहुंचने की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्स्थापन योजना में शामिल किया जायेगा।
- 7.19.3 यदि पुनर्स्थापन मौजूदा अवस्थापन क्षेत्र में किया जाता है, तो ऐसी ही अवसंरचनात्मक सुविधाएं मेजबान समुदाय को भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
- 7.19.4 राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि पुनर्स्थापन क्षेत्र किसी ग्राम पंचायत अथवा नगरपालिका का एक भाग बने।
- 7.19.5 प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापन वासस्थल में पुनर्स्थापित करने के साथ जिला प्रशासन द्वारा उन्हें आबंटित भूमि एवं आवास के स्वामित्व अधिकार संबंधी कागजात हस्तगत करा दिये जाएंगे। जिला प्रशासन के द्वारा नए पुनर्स्थापन वास स्थल को राजस्व ग्राम के रूप में घोषित करने हेतु अविलंब कदम उठाए जाएंगे, यदि वह पूर्व में अवस्थित राजस्व ग्राम का हिस्सा नहीं हो।

7.19.6 भविष्य में आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने के मामलों में प्रभावित परिवार द्वारा प्रभावित क्षेत्र में बिताई गई अवधि/राजस्व खतियान में अंकित नाम का यथोचित उपयोग किया जा सकेगा।

7.20 पुनर्वास अनुदान तथा अन्य लाभों को सूचीबद्ध करना :-

इस नीति के अंतर्गत मौद्रिक रूप में अभिव्यक्त किए गए पुनर्वास अनुदान तथा अन्य लाभों (पारा 7.14 एवं 7.16 में वर्णित वार्षिक पॉलिसियों को छोड़कर) को इस नीति के प्रवृत्त होने की तारीख से आगे, अप्रैल के प्रथम दिन को संदर्भ तारीख के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त अंतरालों पर इन्हें संशोधित किया जाएगा।

7.21 परियोजना के आस-पास के क्षेत्र का विकास :-

ऐसी परियोजनाओं के मामले में, जिनमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन शामिल है, अर्जनकारी निकाय राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार परियोजना स्थल की परिधि के पन्द्रह किलो मीटर के आस-पास के भौगोलिक क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होगा तथा इसके कार्य-क्षेत्र के साथ सटे हुए क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करना अपेक्षित होगा। इस प्रयोजन के लिए अर्जनकारी निकाय विनिर्दिष्ट क्षेत्र में व्यय के लिए अपनी परियोजना के शुद्ध लाभ में से न्यूनतम एक प्रतिशत निर्धारित करेगा अथवा किसी विशेष वर्ष में अर्जनकारी निकाय द्वारा कोई लाभ घोषित न किए जाने के मामले में, उस वर्ष के लिए अर्जनकारी निकाय के साथ परामर्श किए जाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार ऐसी न्यूनतम वैकल्पिक राशि नियत की जाएगी। अर्जनकारी निकाय इस क्षेत्र में विकासात्मक कार्य को करते समय संबंधित ग्रामसभा एवं पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास आयुक्त के साथ गहन समन्वय बनाए रखेगा। राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए नियम और मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अध्याय- VIII**8. शिकायत निवारण तंत्र :****8.1 परियोजना स्तर पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति :**

8.1.1. प्रत्येक परियोजना जिसमें किसी भी क्षेत्र में सामूहिक रूप से 100 या इससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है, राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास की स्कीम योजना या योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए तथा कार्यान्वयन के बाद सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक, जहां पर इसकी नियुक्ति की गई हो, अथवा जहाँ पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक की नियुक्ति नहीं की गई हो, वहां पर अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून किसी सरकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी, जिसे पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति कहा जाएगा।

8.1.2 ऊपर उल्लेख किये गये अनुसार गठित की गई पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति में राज्य सरकार के अधिकारियों के अलावा निम्नलिखित को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा:—

- प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का प्रतिनिधि;
- प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का एक-एक प्रतिनिधि;
- प्रमुख बैंक का एक प्रतिनिधि;
- प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों और नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति;
- प्रभावित क्षेत्र में शामिल क्षेत्र के संसद सदस्य, और विधानसभा के सदस्य;
- परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी; और
- अर्जनकारी निकाय का एक प्रतिनिधि।

8.1.3 पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति के कार्यों और इसकी बैठकों और उनसे संबंधित अन्य मामलों को विनियमित करने की प्रक्रिया उसी तरह से होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

8.2 जिला स्तर पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति:

- 8.2.1 प्रत्येक जिले में राज्य सरकार पैरा 8.1 में निर्धारित किये गए अनुसार परियोजना स्तर पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास समितियों के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर जिले में प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के कार्य की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में पैरा 8.1.2 के अनुरूप एक स्थायी पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति गठित करेगी।
- 8.2.2 जिला स्तर पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति का गठन, शक्तियां, कार्य तथा इसके कार्यकरण से संबंधित अन्य मामले वे होंगे जैसे कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएं।

8.3 न्यायाधिकरण:

- 8.3.1 इस नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों का समयबद्ध रूप से निपटान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जायेगी।
- 8.3.2 यदि किसी प्रभावित व्यक्ति को इस नीति के अंतर्गत यथा उपलब्ध अनुमत्य पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभों को मुहैया न कराने के प्रति कोई शिकायत हो, तो वह अपनी शिकायत के समाधान के लिए उपयुक्त याचिका संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
- 8.3.3 जिस स्वरूप में और जिस समय के अंदर शिकायतें न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं और उनका निपटान किया जाएगा, वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार होगा।
- 8.3.4 न्यायाधिकरण को, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक अथवा पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति के निर्णय के विरुद्ध पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास से संबंधित सभी शिकायतों पर विचार करने और उनका निपटान करने और अर्जनकारी निकाय, पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक, जहाँ पर नियुक्त हो, और जहाँ पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक नियुक्त न हो, वहाँ पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए नियुक्त अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी; अथवा यथास्थिति जिला उपायुक्त को ऐसे निदेश जारी करने की शक्ति

होगी, जिन्हें वह इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए उचित समझे।

- 8.3.5 ऐसी परियोजना के मामले में जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन शामिल है, अर्जित की गई भूमि या अन्य सम्पत्ति के लिए प्रतिकर की राशि से संबंधित विवादों को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 या उस समय प्रवृत्त संघ या राज्य सरकार के अन्य अधिनियम जिसके अंतर्गत भूमि का अर्जन किया गया है, के उपबंधों के अंतर्गत हल किया जाएगा और यह न्यायाधिकरण के अधिकार-क्षेत्र से बाहर होगा।

अध्याय- IX

9. निगरानी तंत्र

9.1 राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास परिषद (एस0एल0सी0आर0आर0) :

राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद होगा जो पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के क्रियान्वयन के संबंध में परामर्श, समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य करेगा। परिषद् में संबंधित विभाग के मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव तथा संबंधित विभाग के सचिव होंगे। इस परिषद् में राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में रखा जा सकता है।

राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास परिषद की वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जाएंगी।

9.2 अनुश्रवण समिति

उन सभी मामलों, जिनके लिए यह नीति लागू होती है, से संबंधित पुनर्स्थापन और पुनर्वास स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा निगरानी करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी।

इस समिति के सदस्य निम्नलिखित अधिकारी होंगे:—

विकास आयुक्त	अध्यक्ष
सचिव,	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सदस्य सचिव
सचिव,	पथ निर्माण विभाग
सचिव,	जल संसाधन विभाग
सचिव,	उद्योग विभाग
सचिव,	कल्याण विभाग
सचिव,	स्वास्थ्य विभाग
सचिव,	मानव संसाधन विभाग
सचिव,	खान एवं भूतत्व विभाग
सचिव,	उर्जा विभाग
सचिव,	वन एवं पर्यावरण विभाग
सचिव,	श्रम एवं नियोजन विभाग
सचिव,	कृषि विभाग
सचिव,	विधि (न्याय) विभाग
सचिव,	नगर विकास विभाग
आयुक्त	पुनर्स्थापन और पुनर्वास, संयोजक

इसके अलावे, सचिव प्रशासी मंत्रालय/विभाग जिसके परियोजना के लिए भूमि अर्जन किया जाना है, को, एक सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।

9.2.1 उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के त्वरित निष्पादन हेतु परियोजना से संबंधित पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक तथा अधियाची निकाय के प्रतिनिधि को राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति में स्थायी रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

9.3 सूचना का आदान-प्रदान:

9.3.1 विस्थापन, पुनर्स्थापन और पुनर्वास के संबंध में सभी सूचना, प्रभावित व्यक्तियों के नाम और पुनर्स्थापन और पुनर्वास पैकेज के ब्यौरों को इन्टरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किया जाएगा तथा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा इस सूचना से संबंधित ग्राम सभाओं, पंचायतों आदि को अवगत कराया जाएगा।

9.3.2 इस नीति के अंतर्गत शामिल प्रत्येक मुख्य परियोजना के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग में एक पर्यावलोकन समिति गठित होगी।

9.4 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार इस नीति को प्रभावकारी बनाने एवं क्रियान्वयन करने हेतु नोडल विभाग होगा।

9.5 राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इस नीति के प्रावधानों को समय-समय पर संशोधित कर सकेगी।

9.6 प्रारम्भ:

झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2008 झारखंड के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(आर0 एस0 पोद्दार)
सचिव।

JHARKHAND REHABILITATION AND RESETTLEMENT POLICY- 2008 (JRRP- 08)**CHAPTER -1****1. PREAMBLE :**

- 1.1 Historical analysis of Jharkhand State clearly shows that there have been many uprisings by the people of Jharkhand, especially the tribal chieftains primarily because they were agitated against outside interference in their culture and customs. After independence, the tribals and the local people fought for a separate State in order to protect their interests and finally in November, 2000, their dream for a separate State was fulfilled. People of Jharkhand were of the view that with rich natural resources of the State, industrialization of Jharkhand will ensure a golden future to the people of Jharkhand. In past, vast areas of land were acquired under the L.A. Act of 1894 and the C.B.A. (A.&D)Act, 1957 for the establishment of industries, dams and mines etc. Large number of people were displaced due to these land acquisitions, in which these local people lost their land, forest, water bodies, community identity, culture and livelihood. But due to illiteracy and lack of technical qualification, these local people could not get direct or indirect jobs in the industries and mines etc and could not become part of the development process. Thus because of the different life style of the local people, they could not get advantage by this process of development. In the last seven years, after the creation of Jharkhand, attempts to develop them also have not yielded the desired results. Hence, it is necessary for us to take stock of the present situation with regard to industrialization and land acquisitions for industries etc and formulate a suitable Rehabilitation and Resettlement Policy that will ensure the welfare of the affected people as well as that of the investors.

Jharkhand State has more than 55 % as Scheduled areas under the Fifth Schedule to the Constitution of India, which is rich in natural resources (which has been beneficial as well as harmful to the people of Jharkhand, especially the Scheduled Tribes). Natural justice demands that any development activity taking place within Jharkhand should also benefit the project affected local people, who sacrifice their land, forest, water resources and other natural resources unlike migrants or investors from outside. The past experience of the people indicates that most of those who were displaced due to various projects in Jharkhand, have neither been properly rehabilitated nor resettled. Thus displacement has resulted in the exodus of the local populace from the State in search of livelihood elsewhere.

Those who migrated into Jharkhand in search of new job opportunities has also increased manifold in the last 60 to 70 years. This has resulted in change of demographic profile of Jharkhand. The social, economic, political and cultural identity of the people of Jharkhand, especially the tribals, has been adversely affected because of the migrant groups. The percentage of tribals in Jharkhand has come down from over 50% in 1931 to 26.3% in 2001. The decrease in the percentage of the tribal population has resulted in the gradual decrease in the Legislative Assembly seats reserved for Scheduled Tribes from 32 to 28 in 1971 and the Delimitation Commission proposed to decrease it further from 28 to 21 based on the census of 2001. Similarly the reserved seats for Scheduled Tribes from Jharkhand for the Lok Sabha was reduced from 7 to 5 in 1971 and the Delimitation Commission proposed to decrease it further from 5 to 4 based on the census of 2001. Hence, there is need to safeguard the interests of Scheduled Tribes and the local people in the process of industrialization.

- 1.2 Provision of public facilities or infrastructure often requires the exercise of legal powers by the State under the principle of *eminent domain* for acquisition of private property, leading to involuntary displacement of people, depriving them of their land, livelihood and shelter; restricting their access to traditional resource base, and uprooting them from their socio-cultural environment. These have traumatic, psychological and socio-cultural consequences on the affected population which call for protecting their rights, in particular of the weaker sections of the society including members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, marginal farmers and women.
- 1.3 There is imperative need to recognise rehabilitation and resettlement issues as intrinsic to the development process formulated with the active partnership of the affected persons, rather than as externally imposed requirements. Additional benefits beyond monetary compensation have to be provided to the families affected adversely by involuntary displacement. The plight of those who do not have legal or recognised rights over the land, e.g. those occupying *Gairmajarua* land or forest land, on which they are critically dependent for their subsistence, is even worse. This calls for a broader concerted effort on the part of the planners to include in the displacement, rehabilitation and resettlement process framework not only those who directly lose land and other assets but also those who are affected by such acquisition of assets. The displacement process often poses problems that make it difficult for the affected persons to continue their earlier livelihood activities after resettlement. This requires a careful assessment of the economic disadvantages and social impact of displacement. There must also be a holistic effort aimed at improving the all round living standards of the affected people.
- 1.4 A comprehensive Jharkhand State Policy on Resettlement and Rehabilitation is needed to address the various issues that have cropped up over the years. In the Scheduled areas of the State, the consultation with the Gram Sabha or the Panchayats shall be in accordance with the Provisions of Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act of 1996 (40 of 1996). There should be a clear perception, through a careful quantification of the costs and benefits that will accrue to society at large, of the desirability and justifiability of each project. The adverse impact on affected families - economic, environmental, social and cultural- needs to be assessed in a participatory and transparent manner. The over all aim of this policy will be to ensure development with justice to the people and provision of adequate employment in the projects.
- 1.5 The aim of this Rehabilitation & Resettlement policy is to minimize large-scale displacement, as far as possible. Only the minimum area of land commensurate with the purpose of the project should be acquired. Also, as far as possible, projects may be set up on wasteland, degraded land or un-irrigated land. Acquisition of agricultural land for non-agricultural use, which can not be reclaimed after use as in the mining project, lands of S.C. and S.T. groups, multi-cropped land and irrigated land should be avoided as far as possible. Prior to initiating the acquisition of land for a project, the State Government should, *inter alia*, take into consideration the alternatives that will:
- (i) minimise the displacement of people due to the acquisition of land for the project;
 - (ii) minimise the total area of land to be acquired for the project; and
 - (iii) the acquisition of agricultural land for non-agricultural use.
- The options assessment may be in terms of the alternative project plans, potentially suitable sites, technological choices available, or a combination of these. Suitable institutional mechanism should be developed and adopted by the State Government for carrying out the task in a transparent manner.

- 1.6 Where large numbers of families are affected, it must be mandatory to do social impact assessments and provide all required infrastructural facilities and amenities in the resettlement area. More particularly, where the Scheduled Tribes people are being displaced in sizeable numbers, a well thought out Tribal Development Plan must be put in place. Scheduled Tribes people should be consulted to determine and develop priorities and strategies for their development. In particular, tribal people would be actively involved in determining health, housing and other socio-economic programmes affecting them.
- 1.7 Furthermore, such a policy must specify clear timeframes within which the implementation of the rehabilitation package as well as utilization of the land shall be accomplished. Also, it should lay down an effective monitoring and grievance redressal mechanism.

While formulating this Rehabilitation and Resettlement Policy, all these relevant issues have been suitably taken into account.

CHAPTER – II

2. Objectives of the Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy

- 2.1 The objectives of the Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy are as follows:
- (a) to minimise displacement and to promote, as far as possible, non-displacing or least-displacing alternatives;
 - (b) to ensure adequate rehabilitation package and expeditious implementation of the rehabilitation process with the active participation of the affected families;
 - (c) to ensure that special care is taken for protecting the rights of the weaker sections of society, especially members of the Scheduled Tribe and Scheduled Castes with concern and sensitivity;
 - (d) to provide a better standard of living, making concerted efforts for providing sustainable income to the affected families;
 - (e) to integrate rehabilitation concerns into the development planning and implementation process; and
 - (f) where displacement is on account of land acquisition, to facilitate harmonious relationship between the requiring body and affected families through mutual cooperation.

CHAPTER - III

3. Definitions:-

3.1 The definition of various expressions used in this policy are as follows:

- (a) "*Administrator for Rehabilitation and Resettlement* " means an officer not below the rank of Deputy Commissioner appointed for the purpose of resettlement and rehabilitation of affected persons;
- (b) "*affected family*" means:
 - (i) a family whose primary place of residence or other property is adversely affected by the acquisition of land for a project or involuntary displacement for any other reason; or

- (ii) any agricultural or non-agricultural labourer, landless person (not having homestead land, agricultural land, or either homestead or agricultural land), rural artisan, small trader or self-employed person; who has been residing or engaged in any trade, business, occupation or vocation continuously for a period of not less than fifteen years in the Non-Scheduled areas and thirty years in the Scheduled Areas of the State preceding the date of declaration of the affected area as certified by the concerned Gram Sabha in supervision of the Administrator and who has been deprived of earning his livelihood or alienated wholly or substantially from the main source of his trade, business, occupation or vocation because of the acquisition of land in the affected area or being involuntarily displaced for any other reason;
- (c) "*affected area*" means area of village or locality notified by the State Government under paragraph 6.1 of this policy;
- (d) "*agricultural labourer*" means a person, primarily resident in the affected area for a period of not less than fifteen years in the Non-Scheduled areas and thirty years in the Scheduled Areas of the State immediately before the declaration of the affected area as certified by the concerned Gram Sabha, who does not hold any land in the affected area but who earns his livelihood principally by manual labour on agricultural land therein immediately before such declaration and who has been deprived of his livelihood;
- (e) "*agricultural land*" includes lands being used for the purpose of:
- (i) agriculture or horticulture;
 - (ii) dairy farming, poultry farming, pisciculture, breeding of livestock or nursery growing medicinal herbs;
 - (iii) raising of crops, grass or garden produce; and
 - (iv) land used by an agriculturist for the grazing of cattle, but does not include land used for cutting of wood only;
- (f) "*Commissioner for Rehabilitation and Resettlement*" means the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement appointed by the State Government not below the rank of Commissioner or of equivalent rank of the State Government;
- (g) "displacement" means loss of homestead or place of residence ;
- (h) "*family*" includes a person, his or her spouse, unmarried sons, unmarried daughter, unmarried brothers, unmarried sisters and also includes "nuclear family" consisting of a person, his or her spouse and minor children.

Provided that each of the following categories will be treated as a separate family for the purpose of extending rehabilitation benefits under this policy :

- (i) unmarried men or unmarried women of more than 30 years of age.
 - (ii) physically and mentally challenged person irrespective of age and sex; (duly certified by the authorized Medical Board). For this purpose, the blind/deaf/ the orthopedically handicapped/ mentally challenged person suffering from more than 40% permanent disability will only be considered as separate family.
 - (iii) minor orphan, who has lost both his/her parents.
 - (iv) a widow.
- (i) "gram sabha" means gram sabha as defined in the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001;
- (j) "*holding*" means the total land held by a person as an occupant or tenant or as both;
- (k) "*raiyat*" means a person whose name is included in the revenue records of the parcel of land under reference;

- (l) "*land acquisition*" or "*acquisition of land*" means acquisition of land under the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), as amended from time to time, or any other law of the Union or the State for the time being in force;
- (m) "*municipal area*" means municipal area as defined in Jharkhand Municipal Corporation Act, 2001.
- (n) "*non-agricultural labourer*" means a person who is not an agricultural labourer but is primarily residing in the affected area for a period of not less than fifteen years in the Non-Scheduled Areas and thirty years in the Scheduled Areas of the State immediately before the declaration of the affected area as certified by the concerned Gram Sabha and who does not hold any land under the affected area but who earns his livelihood principally by manual labour or as a rural artisan immediately before such declaration and who has been deprived of earning his livelihood principally by manual labour or as such artisan in the affected area;
- (o) "*notification*" means a notification published in the Gazette of State of Jharkhand;
- (p) "*nuclear family*" includes a person, his or her spouse and minor children;
- (q) "*Occupiers*" means members of the Scheduled Tribes and other forest dwellers in possession of forestland prior to the 13th day of December 2005;
- (r) "*Tribunal*" means the person appointed under paragraph 8.3 of this policy for redressal of grievances;
- (s) "*prescribed*" means, unless otherwise specified, prescribed by guidelines or orders issued by the State Government under this policy;
- (t) "*project*" means a project involving land which involves involuntary displacement of people and which relates to sectors of iron & steel, aluminium, power generation, cement and includes such other projects as so notified by the Government of Jharkhand from time to time .
Provided that the project shall not include any land acquisition for Industrial Area Development Authorities/ Industrial Estates.
- (u) "*requiring body*" means a company, a body corporate, an institution, or any other organisation for whom land is to be acquired by the State Government.
- (v) "*resettlement area*" means any area so declared under paragraph 6.9 of this policy by the State Government;

CHAPTER- IV

4. Social Impact Assessment (SIA) of Projects

- 4.1 Whenever it is desired to undertake a new project or expansion of an existing project, which involves involuntary displacement of one hundred or more families *en masse* in any project, the Administrator shall ensure that a Social Impact Assessment (SIA) study is carried out in the proposed affected areas in such manner as may be prescribed.
- 4.2.1 The above SIA report shall be prepared in such proforma as may be prescribed, considering various alternatives, and using agencies accredited in the manner prescribed. The SIA report shall be completed within thirty days.
- 4.2.2 While undertaking a social impact assessment, the State Government through Administrator shall, *inter alia*, take into consideration the impact that the project will have on public and community properties, assets and infrastructure; particularly, roads, public transport, drainage, sanitation, sources of safe drinking water, sources of drinking

water for cattle, community ponds, grazing land, plantations (social forestry or agro forestry); public utilities, such as post offices, fair price shops etc., food storage godowns, *panchayatghars*, Cooperative Societies, seed-cum-fertilizer storage, irrigation, child and mother supplemental nutritional services, children's playground, parks, community centres, electricity supply, health care facilities, schools and educational/training facilities, places of worship, land for traditional tribal institutions, burial and cremation grounds, service land and security arrangements etc. as well as on culture and traditions of primitive tribes and scheduled tribes.

- 4.3.1 Where it is required as per the provisions of any law, rules, regulations or guidelines to undertake environmental impact assessment also, the SIA study shall be carried out simultaneously with the Environmental Impact Assessment (EIA) study.
- 4.3.2 In cases where both EIA and SIA are required, the public hearing done in the project-affected area for EIA shall also cover issues related to SIA. Such public hearing shall be organized by the Administrator for Rehabilitation and Resettlement. The public hearing shall be completed within a period of thirty days
- 4.3.3 Where there is no requirement for EIA, the SIA report shall be made available to the public through public hearing to be organized by Administrator for Rehabilitation and Resettlement.
- 4.4.1 The SIA report shall be examined by an independent multi-disciplinary expert group constituted for the purpose by the State Government. Two non-official social science and rehabilitation experts, the Secretary of the department concerned with the welfare of Scheduled Tribes and Scheduled Castes of the State Government or his representative, and a representative of the requiring body shall serve on this expert group.
- 4.4.2 Where both EIA and SIA are required, a copy of the SIA report shall be made available to the agency prescribed in respect of environmental impact assessment by the Ministry of Environment and Forests, and a copy of the EIA report shall be shared with the expert group mentioned in paragraph 4.4.1.
- 4.5 The SIA clearance shall be accorded by the Commissioner for Resettlement and Rehabilitation as per the procedure and within a maximum period of thirty days from the date of public hearing.
- 4.6 The SIA clearance shall be mandatory for all projects involving involuntary displacement of one hundred or more families *en masse* in any area, and the conditions laid down in the SIA clearance shall be duly followed by all concerned. Before initiation of land acquisition, the requiring body shall be required to provide written undertaking to abide by the provisions of this Rehabilitation and Resettlement policy.

CHAPTER – V

5. Appointment of Administrator and Commissioner for Resettlement and Rehabilitation and their powers and functions:-

- 5.1 Where the State Government is satisfied that there is likely to be involuntary displacement of large number of persons due to acquisition of land for any project or due to any other reason, it may; and where the State Government is satisfied that there is likely to be involuntary displacement of one hundred or more families *en masse* in any area due to acquisition of land for any project or due to any other reason, it shall, appoint, by

notification, in respect of that project, an officer not below the rank of Deputy Commissioner to be the Administrator for Resettlement and Rehabilitation (R&R):

Provided that in case of a project involving involuntary displacement of less than one hundred families *en masse* in any area, Deputy Commissioner shall be responsible for the resettlement and rehabilitation of the affected families as per this policy.

- 5.2 The Administrator for Resettlement and Rehabilitation shall be assisted by such officers and employees as the State Government may provide.
- 5.3 Subject to the superintendence, directions and control of the State Government and Commissioner for Resettlement and Rehabilitation, the Administrator for Resettlement and Rehabilitation shall take all measures for the resettlement and rehabilitation of the affected families.
- 5.4 The overall control and superintendence of the formulation, execution and monitoring of the rehabilitation and resettlement plan shall vest in the Administrator for Resettlement and Rehabilitation.
- 5.5 Subject to any general or special order of the State Government, the Administrator for Resettlement and Rehabilitation shall perform the following functions and duties:
 - (i) minimise displacement of people and to identify non-displacing or least-displacing alternatives in consultation with the requiring body;
 - (ii) hold consultation with the affected families, and the concerned Gram Sabha while preparing a rehabilitation and resettlement scheme or plan.
 - (iii) ensure that interests of the adversely affected persons of Scheduled Tribes and weaker sections are protected;
 - (iv) prepare a draft scheme or plan of resettlement and rehabilitation as required under Chapter-VI of this policy;
 - (v) prepare a budget including estimated expenditure of various components of acquisition of land, rehabilitation and resettlement activities or programmes in consultation with representatives of the affected families, the concerned Gram Sabha and the requiring body;
 - (vi) arrange adequate land, as far as possible, for rehabilitation and resettlement of the affected families;
 - (vii) sanction the benefits to the affected families;
 - (viii) perform such other functions as the State Government may, from time to time, by order in writing, assign.
- 5.1 The Administrator can take assistance from any technical expert/institute for discharging his functions, expenditure of which will be borne by the requiring body.
- 5.6 The Administrator for Resettlement and Rehabilitation may, by order in writing, delegate such of the administrative powers conferred and duties imposed on him by or under this policy to any officer not below the rank of *Anchal Adhikari* or equivalent.
- 5.7 All officers and staff appointed by the State Government under this policy shall be subordinate to the Administrator for Resettlement and Rehabilitation, unless stated otherwise.

- 5.8 The State Government shall appoint an officer of the rank of Commissioner or of equivalent rank for resettlement and rehabilitation in respect of such cases to which this policy applies to be called the Commissioner for Resettlement and Rehabilitation.
- 5.9 For the purposes of this policy, the Administrator for Resettlement and Rehabilitation and other officers and employees appointed for the purposes of resettlement and rehabilitation of the affected families shall be subordinate to the Commissioner for Resettlement and Rehabilitation.
- 5.10 The Commissioner for Resettlement and Rehabilitation shall be responsible for supervising the formulation of resettlement and rehabilitation plans or schemes and proper implementation of such plans or schemes.
- 5.11 The State Government may, by order in writing, delegate such of its functions and powers in relation to implementation of this policy, as it deems fit.

CHAPTER – VI

6. Resettlement and Rehabilitation Plan

The procedure mentioned in this chapter shall be followed for declaration of the affected area, carrying out survey and census of affected persons, assessment of government land available and land to be arranged for resettlement and rehabilitation, declaration of the resettlement area or areas, preparation of the draft resettlement and rehabilitation scheme or plan and its final publication.

- 6.1 Where the State Government is of the opinion that there is likely to be involuntary displacement of one hundred or more families *en masse* in any area due to acquisition of land for any project or due to any other reason, it shall, declare, by order, area of villages or localities as an affected area within fifteen days of SIA clearance.
- 6.2 Every declaration made under paragraph 6.1 of the policy shall be published in at least three daily newspapers, two of which shall be in Hindi, having circulation in villages or areas which are likely to be affected, and also by drum beating & affixing a copy of the order on the notice board of the concerned gram panchayats or municipalities and other prominent place or places in the Gram Sabha and Panchayat Offices of the affected area and the resettlement area, and by any other method as may be prescribed in this regard by the State Government.
- 6.3 Once the declaration is made under paragraph 6.1 of the policy, the Administrator for resettlement and rehabilitation shall undertake a baseline survey and census for identification of the persons and families likely to be affected.
- 6.4 Every such survey shall contain the following village-wise information of the affected families:-
- (i) members of the family who are residing (alongwith information as to residing since), engaged in any trade, business, occupation or vocation in the affected area;
 - (ii) families who are likely to lose, or have lost, their house, agricultural land, employment or are alienated wholly or substantially from the main source of their trade, business, occupation or vocation;

- (iii) agricultural labourers and non-agricultural labourers;
 - (iv) families belonging to the Scheduled Caste , Scheduled Tribe, Primitive Tribe or other backward classes categories;
 - (v) vulnerable persons such as the disabled, destitute, orphans, widows, unmarried girls, abandoned women, or persons above fifty years of age; who are not provided or cannot immediately be provided with alternative livelihood, and who are not otherwise covered as part of a family;
 - (vi) families that are landless (not having homestead land, agricultural land, or either homestead or agricultural land) and below poverty line, but residing continuously in the affected area for a period of not less than fifteen years in the Non-Scheduled areas and thirty years in the Scheduled Areas of the State preceding the date of declaration of the affected area as certified by the concerned Gram Sabha.
 - (vii) Scheduled Tribes/Scheduled Castes and other forest dwellers families who are or were having possession of forestlands in the affected area prior to the 13th day of December, 2005.
- 6.5 Every survey undertaken under paragraph 6.4 shall be completed expeditiously and within a period of sixty days from the date of declaration made under paragraph 6.1.
- 6.6 Within seven days of completion of the above survey, the Administrator for resettlement and rehabilitation shall, by order, and also in such other manner so as to reach all persons likely to be affected, publish a draft of the details of the findings of the survey conducted by him and invite objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby. This draft shall be made known locally by wide publicity in the affected area. A copy of the same shall be kept in the Gram Sabha and Panchayat Offices which will be available to the public who would like to have a copy of the same.
- 6.7 On the expiry of fifteen days from the date of publication of the draft of the details of survey and after considering the objections and suggestions received by him in this behalf, the Administrator for resettlement and rehabilitation shall submit his recommendations thereon along with the details of the survey within 15 days to the State Government and a copy shall be sent to the concerned Gram Sabha and the Panchayat for public information.
- 6.8 Within thirty days from the date of receipt of the details of the survey and recommendations of the Administrator for resettlement and rehabilitation, the State Government shall publish the final details of survey in the Official Gazette.
- 6.9 Commissioner for resettlement and rehabilitation shall, by order, declare any area (or areas) as a resettlement area (or areas) for resettlement and rehabilitation of the affected families within fifteen days of publication of details of survey. The resettlement area (areas) shall be part of project township or it shall be adjoining to project township.
- 6.9.1 No physical displacement shall be made before the completion of resettlement work as approved by Commissioner of Resettlement and Rehabilitation. The certification of completion of resettlement work will be issued by the Administrator, Resettlement & Rehabilitation in consultation with the concerned Gram Sabha. However for resettlement of affected families, any land not having building thereon, may be utilised.
- 6.10 The Administrator for resettlement and rehabilitation shall ensure that the affected families shall be settled, wherever possible, in a group or groups in such resettlement

areas. However, it has to be ensured that the affected families may be resettled with the host community on the basis of equality and mutual understanding, consistent with the desire of each group to preserve its own identity and culture. The validity of land documents of the affected families shall continue to be valid till the process of resettlement is complete and new land documents are provided to the affected families.

- 6.11 For the purposes of paragraph 6.9 above, the Administrator for resettlement and rehabilitation shall draw up a list of lands that may be available for resettlement and rehabilitation of the affected families.
- 6.12 The lands drawn up under paragraph 6.11 shall consist of :
- (a) land available or acquired for the project and earmarked for this purpose;
 - (b) Government wastelands and any other land vesting in the Government available for allotment to the affected families;
 - (c) lands that may be available for purchase or acquisition for the purposes of resettlement and rehabilitation scheme or plan; or
 - (d) a combination of one or more of the above.

However, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement should ensure that such acquisition of land does not lead to another set of physically displaced families.

- 6.13 The Administrator for resettlement and rehabilitation, on behalf of the “State Government, may either purchase land from any person through consent award and may enter into an agreement for this purpose, or approach the State Government concerned for acquisition of land for the purposes of resettlement and rehabilitation scheme or plan, keeping in view the, contents of paragraph 6.12(b) above.
- 6.14.1 After completion of baseline survey and census of the affected families and assessment of the requirement of land for resettlement, as mentioned in paragraphs 6.3 and 6.12, the Administrator for resettlement and rehabilitation shall prepare a draft scheme or plan for the resettlement and rehabilitation of the affected families after consultation with the representatives of the affected families including women and the representative of the requiring body.
- 6.14.2 (i) The draft resettlement and rehabilitation scheme or plan shall contain the following particulars, namely:
- (a) the extent of land to be acquired for the project and the name(s) of the affected village(s);
 - (b) a village-wise list of the affected persons, family-wise including their age and the extent and nature of land and immovable property owned or held in their possession in the affected area, and the extent and nature of such land and immovable property which they are likely to lose or have lost, indicating the survey numbers thereof;
 - (c) a list of agricultural labourers in such area and the names of such persons whose livelihood depends on agricultural activities;
 - (d) a list of persons who have lost or are likely to lose their employment or livelihood or who have been or likely to be alienated wholly or substantially from their main sources of trade, business, occupation or vocation consequent to the acquisition of land for the project or involuntary displacement due to any other cause; .
 - (e) a list of non-agricultural labourers, including artisans;

- (f) a list of affected landless families, including those, without homestead land and below poverty line families; Administrator in consultation with Gram Sabha would ensure that all BPL families are included in the list.
 - (g) a list of vulnerable affected persons, as indicated at paragraph 6.4(v);
 - (h) a list of occupiers, if any;
 - (i) a list of public utilities and government buildings which are affected or likely to be affected;
 - (j) details of public and community properties, assets and infrastructure;
 - (k) a list of benefits and packages which are to be provided to the affected families;
 - (l) details of the extent of land available in the resettlement area for resettling and for allotment of land to the affected families;
 - (m) details of the amenities and infrastructural facilities which are to be provided for resettlement;
 - (n) the time schedule for shifting and resettling the displaced persons in the resettlement area or areas; and
 - (o) service land in project affected area such as *Pahnai, Mahtoi, Mundai, Pradhani* or Service Land under Chhotanagpur & Santhal Pargana Tenancy Acts;
 - (p) educational qualification of members of affected families;
 - (q) list of available employment opportunities and their eligibility criteria in the project.
 - (r) such other particulars as the Administrator for resettlement and rehabilitation may consider necessary
- 6.14.2 (ii) Photo Identity Card shall be issued to each member of the affected family by the Administrator for resettlement and rehabilitation after verification by the concerned Gram Sabha.
- 6.14.3 The draft scheme or plan may be made known locally by wide publicity in the affected area and the resettlement area (or areas) in a manner prescribed in para 6.2 .
- 6.15.1 The draft rehabilitation and resettlement scheme or plan shall also be discussed in gram sabhas in rural areas and in public hearings in urban and rural areas where gram sabhas don't exist.
- 6.15.2 The consultation with the gram sabha or the panchayats at the appropriate level shall be in accordance with the provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (40 of 1996).
- 6.15.3 In cases of involuntary displacement of One hundred or more Scheduled Tribes families from the Scheduled Areas, the Tribal Advisory Council shall be consulted.
- 6.16 While preparing a draft scheme or plan as specified in paragraph 6.14, the Administrator for resettlement and rehabilitation shall ensure that the entire estimated cost of the rehabilitation and resettlement scheme or plan forms an integral part of the cost of the project for which the land is being acquired. The entire expenditure on resettlement and rehabilitation benefits and other expenditure for resettlement and rehabilitation of the affected families are to be borne by the requiring body for which the land is being acquired. The Administrator for resettlement and rehabilitation shall ensure that the entire estimated cost of resettlement and rehabilitation benefits and other expenditure for resettlement and rehabilitation of the affected families is communicated to the requiring body for incorporation in the project cost.

- 6.17 The Administrator for resettlement and rehabilitation shall submit the draft scheme or plan for resettlement and rehabilitation to the State Government for its approval. In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, it shall be the responsibility of the State Government to obtain the consent of the requiring body, to ensure that the necessary approvals as required under this policy have been obtained, and to make sure that the requiring body has agreed to bear the entire cost of resettlement and rehabilitation benefits and other expenditure for resettlement and rehabilitation of the affected families as communicated by the Administrator for resettlement and rehabilitation, before approving it.
- 6.18 After approving the resettlement and rehabilitation scheme or plan, the State Government shall publish the same in the Official Gazette. On final notification of the resettlement and rehabilitation scheme or plan, it shall come into force.
- 6.19 It shall be the responsibility of the requiring body to provide sufficient funds to the Administrator for resettlement and rehabilitation for proper implementation of the resettlement and rehabilitation scheme or plan. As soon as the resettlement and rehabilitation scheme or plan is finalized, the requiring body shall deposit an amount equal to Cash component payable to the affected families as per this Rehabilitation and Resettlement Policy with the Administrator for resettlement and rehabilitation.
- 6.20 The Administrator for resettlement and rehabilitation shall keep proper books of accounts and records of the funds placed at his disposal and submit periodic returns to the requiring body and the State Government in this behalf.
- 6.21 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, an exercise for fast-track updating of land records shall be undertaken concurrently with the land acquisition proceedings. Persons who have acquired any right prior to the date of issue of the notification under sub-section (1) of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (or such notification under any other Act of the Union or the State for the time being in force under which land acquisition is being undertaken) as per the updated records shall also have right to proportionate compensation along with the original landowners referred to in the said notification. Administrator for resettlement and rehabilitation will nominate some officials to expedite the above process.
- 6.22 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body :
- The compensation award shall be declared well in time before displacement of the affected families. Full payment of compensation as well as complete resettlement shall be ensured in advance of the actual displacement of the affected families.
- 6.23 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, and if the requiring body is a company authorized to issue shares and debentures, the affected families who are entitled to get compensation for the land or other property acquired, shall be given the option to take up to fifty percent of the compensation amount due to them in the form of shares or debentures or both of the requiring body.
- Provided further that the affected family shall have option to take refund of investment made in shares/debentures, and in that case the requiring body shall arrange for such refund which will not be less than the amount invested in such shares/debentures.

- 6.24.1 Land compulsorily acquired for a project cannot be transferred to any other project or purpose except for a public purpose, and after obtaining the prior approval of the State Government.
- 6.24.2 If land compulsorily acquired for a project or part thereof, is not even partially utilized for the project within a period of five years and not completely utilized within a period of fifteen years from the date of taking over the possession by the requiring body, the same shall revert to the possession and ownership of the State Government without payment of any compensation or remuneration to the requiring body. Thereafter the State Government shall endeavour to get other useful project established on that land and in case that is not possible, the land shall be returned to the affected families.
The requiring body will not have any right to sell the acquired land.
- 6.25 Whenever any land acquired for a public purpose is transferred to an individual or organisation (whether in private sector, public sector or joint sector) for a consideration, eighty per cent of any net unearned income so accruing to the transferor, shall be shared amongst the persons from whom the lands were acquired or their legal heirs, in proportion to the value at which the lands were acquired. The fund shall be kept in a separate account which shall be administered in such manner as may be prescribed.
- 6.26 The project authorities will always have the option to offer resettlement and rehabilitation package which is superior to the benchmark guidelines spelt out in this policy.

CHAPTER – VII

7. Resettlement and Rehabilitation Benefits for the Affected Families:

- 7.1 The resettlement and rehabilitation benefits shall be extended to all the affected families who are eligible as affected families on the date of publication of the declaration under paragraph 6.1, and any division of assets in the family after the said date may not be taken into account.
- 7.2 Any affected family owning house and whose house has been acquired or lost, may be allotted free of cost house site to the extent of actual loss of area of the acquired house but not more than 10 decimal of land in rural areas, or 5 decimal of land in urban areas, as the case may be, for each nuclear family.

The requiring body shall construct on the allotted house site a pucca house having at least two bed rooms, one drawing room, one kitchen and one toilet of total carpet area equal to one hundred square metre.

Provided that, if resettlement is located in urban area, a house of up to one hundred square metre carpet area may be provided in lieu thereof. Such a house, if necessary, may be offered in a multi-storied building complex.

Provided further that an affected family losing less than 10 decimal of land in rural area or 5 decimal of land in urban area, as the case may be, shall be allotted land for homestead purpose measuring at least 150 square metre, and the pucca house constructed shall have carpet area equal to the carpet area of house lost or 55 square metre, whichever is more, but limited to carpet area of 100 square metre.

Provided further that if any family does not want any constructed house in the resettlement area, or desires to relocate itself elsewhere, then that family shall get one-time financial assistance of Rs. 3.00 lacs.

7.3 Each affected family below poverty line which is without homestead land and which has been residing in the affected area continuously for a period of not less than fifteen years in non-scheduled area and not more than thirty years in scheduled area of the state preceding the date of declaration of the affected area and who has been involuntarily displaced from such area, shall be entitled to a house of minimum 55 square metre carpet area in rural areas, or 55 square metre carpet area in urban areas (which may be offered, where applicable, in a multi-storied building complex), as the case may be, in the resettlement area.

For providing houses to such BPL families, multi-storied buildings may be constructed with ground coverage of maximum fifty percent.

Provided that any such affected family which opts not to take the house offered, shall get a one-time financial assistance for house construction of Rs. two lacs.

7.4. Each affected family shall be entitled to get 1/10th of the land he/she loses on account of acquisition of land in the proposed project township or adjoining to it. The land to be actually allotted will be computed after taking into account the allocations which are made for homestead purposes and will be limited to a maximum of half an acre.

7.5 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, the stamp duty and other fees payable for registration of the land or house allotted to the affected families shall be borne by the requiring body.

7.6 The land or house allotted to the affected families under this policy shall be free from all encumbrances.

7.7 The land or house allotted to the affected families under this policy shall be in the joint names of wife and husband of the affected family. The monetary amount shall be disbursed through a joint account in the name of husband and wife.

7.8 Each affected family that is displaced and has cattle, shall get financial assistance of thirty five thousand rupees, for construction of cattle shed.

7.9 Each affected family that is displaced shall get a one-time financial assistance of fifteen thousand rupees, for shifting of the family, building materials, belongings and cattle.

7.10 Each affected person who is a trader and has pucca shop or *Gumti* (stall) and who has been displaced shall get a one-time financial assistance of fifty thousand rupees, for construction of working shed or shop.

7.11.1 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body,-

(a) the requiring body shall ensure employment in the project at the rate of at least one eligible person per nuclear family, among those affected families who are losing some land due to land acquisition.

If additional employment opportunities are available, then priority shall be accorded to the displaced persons.

In providing employment, topmost priority shall be accorded to those affected families who have lost all their agricultural and homestead land due to acquisition of land. Administrator for Resettlement and Rehabilitation will decide priorities in providing employment in consultation with the Gram Sabha and requiring body.

- (b) wherever necessary, the requiring body shall arrange for technical/vocational training of the affected persons, so as to make them suitable persons to take on suitable jobs preferably in the project:
 - (c) the requiring body shall offer scholarships and other skill development opportunities to the eligible persons from the affected families as per the criteria as may be fixed by the State Government;
 - (d) the requiring body shall give preference to the affected persons or their groups or cooperatives in the allotment of outsourced contracts, shops or other economic opportunities coming up in or around the project site;
 - (e) the requiring body shall give preference to willing landless labourers and unemployed affected persons while engaging labour in the project during the construction phase.
 - (f) in case of nominees of displaced families eligible for employment otherwise, the upper age limit shall be relaxed by ten years.
 - (g) all unskilled new jobs and semi-skilled direct employment created in the project shall be provided to the members of the affected families, subject to availability and suitability.
 - (h) it is incumbent on the requiring body to give preference to local people in all levels of employment in the project as far as possible.
 - (i) for the purpose of employment, each affected family will nominate one member of such family.
 - (j) in case of demise of a person of affected family during service period, his dependent will be provided employment on compassionate ground.
- 7.11.2 The affected persons shall be offered the necessary training facilities for development of entrepreneurship, technical and professional skills for self employment.
- 7.12 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, the affected families who have not been provided employment or who do not want to avail employment, shall be entitled to annuity policies that will pay an amount not less than one thousand rupees per month per acre of land lost due to acquisition (the amount rounded to nearest hundred rupees) for thirty years from the date of displacement or until the provision of employment to the affected families.
- Provided that, the annuity policies will not pay an amount less than one thousand rupees per month to an affected family, even if the land lost due to acquisition is less than one acre or no land is lost by that project affected family due to acquisition.
- This amount of rupees twelve thousand per annum per acre will increase by rupees 500 every two years.
- Provided further that the maximum amount from the annuity policy will be limited to ten thousand rupees per month per affected family.
- 7.13.1 In case of a commercial project other than that of any public sector undertaking /Authority/ Board/ Corporation/ Agency of the State Government or of the Central Government, one percent of annual net profit of the project in monetary terms will be distributed every year by the requiring body in accordance with para 7.13.2 among the affected families or in case of demise of the affected family, to their nominee/legal heirs. The affected families shall be provided this sum within a period of three months from the date of declaration of annual financial results.
- In case the total areas acquired from the affected families form only a part of project land, then proportionate amount of one percent of net profit (In proportion of area of land acquired from the affected families to the total area of the project) of the project shall be distributed amongst the affected families in accordance with para 7.13.2 .

- 7.13.2 For the purpose of determination of amount to be provided to an affected family under para 7.13.1, those category of affected families which have lost some land but upto one acre of land , due to acquisition of land for the project shall be allocated points equal to 4 (four) times the area of land lost in acre. For any additional land lost due to acquisition beyond one acre , the affected family shall be allocated additional points equal to additional area lost in acre due to acquisition. But any affected family may be allocated maximum upto 18 (eighteen) points only. The total points for the project or part thereof shall be thus arrived at by summing up the points allocated to the individual affected families affected due to land acquisition for the project or part thereof. The one percent of net profit or proportionate amount as calculated under para 7.13.1 for the project or part thereof, shall be distributed equally among total points thus arrived at as hereinabove and every affected family shall be entitled to monetary amount in proportion to points allocated to it.
- 7.14 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, each affected family which is involuntarily displaced shall get a monthly subsistence allowance equivalent to twenty five days minimum agricultural wages per month for a period of one year from the date of displacement.
- Affected families who do not get employment will also be given an amount equal to six hundred days of agricultural wage.
- 7.15 The project authorities shall, at their cost, arrange for annuity policies that will pay a pension for life to the vulnerable affected persons amounting to one thousand five hundred rupees per month.
- 7.16 The affected families may be given the option to take a lump-sum amount in lieu of one or more of the benefits specified in paragraphs 7.2 to 7.18 (except paragraphs 7.13.1 and 7.15) the amount to be determined by the Administrator.
- 7.17 Resettlement and Rehabilitation benefits for affected families belonging to the Scheduled Tribes and Scheduled Castes:
- 7.18.1 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body which involves involuntary displacement of one hundred or more Scheduled Tribes families, a Tribal Development Plan shall be prepared, in such form as may be prescribed, laying down the detailed procedure for settling land rights due but not settled and restoring titles of tribals on alienated land by undertaking a special drive together with land acquisition. The Plan shall also contain a programme for development of alternate fuel, fodder and non-timber forest produce (NTFP) resources on non-forest lands within a period of five years sufficient to meet requirements of tribal communities who are denied access to forests.
- 7.18.2 In case of land acquisition for any project, at least one-third of the compensation amount due shall be paid to the affected families at the outset as first installment and the rest at the time of taking over the possession of the land.
- 7.18.3 The Scheduled Tribes affected families will be resettled, as far as possible, in the same Schedule Area in a compact block, so that they can retain their ethnic, linguistic and cultural identity. Exceptions would be allowed only in rare cases where the requiring body in case of a project involving land acquisition, or the State Government in other cases of involuntary displacement, is unable to offer such land due to reasons beyond its control.

- 7.18.4 The resettlement areas predominantly inhabited by the Scheduled Tribes shall get land free of cost for community and religious gatherings.
- 7.18.5 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, the Scheduled Tribes/Scheduled Castes/OBC affected families resettled out of the District will get twenty-five per cent higher rehabilitation and resettlement benefits in monetary terms in respect of the items specified in paragraphs 7.8,7.9 and 7.10 .
- 7.18.6 Any alienation of tribal lands in violation of the laws and regulations for the time being in force as so declared by the decision of the competent court ,shall be treated as null and void. In the case of acquisition of such lands, the resettlement and rehabilitation benefits would be available to the original tribal land-owners.
- 7.18.7 In the case of hydel projects, the affected families having fishing rights in a river or pond or dam in the affected area shall be given fishing rights in the reservoir area of the hydel projects.
- 7.18.8 The affected *Scheduled Tribes / Scheduled Castes / other forest dweller* families, who were in possession of forest lands in the affected area prior to the 13th day of December, 2005, shall also be eligible for the resettlement and rehabilitation benefits under this policy.

7.19 Amenities and Infrastructural Facilities to be provided at Resettlement Areas:

- 7.19.1 In all cases of involuntary displacement of one hundred families or more, comprehensive infrastructural facilities and amenities notified by the appropriate Government shall be provided in the resettlement area(s). Such facilities and amenities shall, *inter alia*, include roads, public transport, drainage, sanitation, sources of safe drinking water, sources of drinking water for cattle, community ponds, grazing land, land for fodder, plantation (social forestry or agro forestry), Public utilities, such as Post Offices, Fair Price shops etc, Food Storage Godowns, *panchayatghars*, Cooperative Societies, seed-cum-fertilizer storage, irrigation, electricity supply, health care facilities, child and mother supplemental nutritional services, children's playground, parks, community centres, schools and educational/training facilities, places of worship, land for traditional tribal institutions, service land, burial/cremation grounds, and security arrangements.
- 7.19.2 In cases of involuntary displacement of less than one hundred families in any area, all affected families shall be provided basic infrastructural facilities and amenities at the resettlement site(s) as per the norms specified by the State Government. It would be mandatory that provision of drinking water, electricity, schools, dispensaries, and access to the resettlement site etc. as approved by the State Government are provided.
- 7.19.3 If relocation takes place in an existing settlement area, the same infrastructure shall also be extended to the host community.
- 7.19.4 The State Government shall ensure that a resettlement area forms part of a *gram panchayat* or municipality.
- 7.19.5 Records of Rights of the land and houses allotted to the affected families should be handed over to them by the district administration while resettling them in the resettlement area. The district administration shall take steps for immediate declaration of the new resettlement area as a Revenue Village/Municipal area if it is not a part of an already existing Revenue Village/Municipal area.

7.19.6 For the purpose of issuing residential certificate in future to the affected family, the period spent in the affected area/ name appearing in the record of rights, will be suitably taken into account.

7.20 Indexation of Rehabilitation Grant and Other Benefits :

The rehabilitation benefits expressed in monetary terms in this policy (except annuity policy mentioned in para - 7.14 and 7.16) shall be indexed to the Consumer Price Index (CPI) with the first day of April following the date of coming into force of this policy as the reference date, and the same shall also be revised by the state Government at suitable intervals.

7.21 Periphery Development :

In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, the requiring body will be responsible for development of the geographic area within 15 kilometer from the periphery of the project site as decided by the State Government, and will be required to contribute to the socio-economic development of the areas contiguous to its area of operation. For this purpose, the requiring body will earmark a minimum of 1 (one) percent of net profit of the project or, in case no profit is declared by the requiring body in a particular year, for that year, such minimum alternative amount as may be determined by the State Government after consultation with the requiring body, to be spent within the specified zone. The requiring body will carry out the developmental activity within this zone in close coordination with the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement and the concerned Gram Sabha. The State Government may frame suitable rules and guidelines for this purpose.

CHAPTER -VIII

8. Grievance Redressal Mechanism

8.1 Resettlement and Rehabilitation Committee at the Project Level:

8.1.1 For each project which involves involuntary displacement of one hundred or more families *en masse* in any area, the State Government shall constitute a Committee under the chairpersonship of the Administrator for resettlement and rehabilitation, where appointed, or an officer not below the rank of Sub Divisional Magistrate where the Administrator for resettlement and rehabilitation is not appointed, to be called the Resettlement and Rehabilitation Committee, to monitor and review the progress of implementation of the scheme or plan of resettlement and rehabilitation of the affected families, and to carry out post-implementation social audits.

8.1.2 The Resettlement and Rehabilitation Committee constituted as above shall include, apart from officers of the State Government, as one of its members:

- a representative of women residing in the affected area;
- a representative each of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Castes residing in the affected area ;
- a representative of the lead bank;
- Chairperson(s) of the *panchayats*, and municipalities located in the affected area, or their nominee(s);
- Members of Parliament and Members of Legislative Assembly of the area included in the affected area;
- the Land Acquisition Officer of the project; and
- a representative of the requiring body.

8.1.3 The procedure regulating the business of the Resettlement and Rehabilitation Committee, its meetings and other matters connected thereto shall be such as may be prescribed by the State Government.

8.2 Resettlement and Rehabilitation Committee at the District Level:

8.2.1 In each district, the State Government shall constitute a standing Resettlement and Rehabilitation Committee under the chairpersonship of Deputy Commissioner of the district, consisting of members in tune with para 8.1.2 to monitor and review the progress of rehabilitation and resettlement of the affected families in the district excluding those covered by the resettlement and rehabilitation committees at the project level as prescribed in paragraph 8.1.

8.2.2 The composition, powers, functions and other matters relating to the functioning of the resettlement and rehabilitation committee at the district level shall be such as may be prescribed by the State Government.

8.3 Tribunal: -

8.3.1 A three member Tribunal shall be appointed by the State Government for time-bound disposal of the grievances arising out of the matters covered by this policy.

8.3.2 Any affected person, if aggrieved, for not being offered the admissible resettlement and benefits as provided under this policy, may move an appropriate petition for redressal of his or her grievances to the Tribunal concerned.

8.3.3 The form and manner in which and the time within which complaints may be made to the Tribunal and disposed of shall be such as may be prescribed by the State Government.

8.3.4 The Tribunal shall have the power to consider and dispose of all complaints relating to resettlement and rehabilitation against the decision of the Administrator for resettlement and rehabilitation or Resettlement and Rehabilitation Committee and issue such directions to the requiring body, the Administrator for resettlement and rehabilitation where appointed, or the other senior Government official appointed for resettlement and rehabilitation, where the Administrator for Rehabilitation and Resettlement is not appointed; or the Deputy Commissioner, as the case may be as it may deem proper for the redressal of such grievances relating to implementation of this policy.

8.3.5 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, the disputes related to the compensation award for the land or other property acquired will be disposed of as per the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 or any other Act of the Union or State for the time being in force under which the acquisition of land is undertaken, and will be outside the purview of the functions of the Tribunal. "

CHAPTER – IX**9. Monitoring Mechanism****9.1 State Level Council on Resettlement and Rehabilitation (SLCRR)**

The State Level Council on Resettlement and Rehabilitation will be constituted under the chairmanship of the Chief Minister. The council may comprise of the ministers of the concerned departments, Chief Secretary and the Secretary of the Department concerned. The council may also include experts of national repute as members.

The State Level Council on Resettlement and Rehabilitation shall meet atleast twice a year.

9.2 Monitoring Committee :

There shall be a State Level Monitoring Committee to be chaired by the Development Commissioner for reviewing and monitoring the progress of implementation of resettlement and rehabilitation schemes relating to all projects to which this Policy applies.

The Committee will have the following as its members:

Development Commissioner, Chairperson
 Secretary, Revenue and Land Reforms, Member Secretary
 Secretary, Road Construction Department
 Secretary, Water Resources
 Secretary, Industry
 Secretary, Welfare
 Secretary, Health
 Secretary, Human Resources
 Secretary, Mines & Geology
 Secretary, Energy
 Secretary, Forest and Environment
 Secretary, Labour and Employment
 Secretary, Agriculture
 Secretary, Law
 Secretary, Urban Development
 Commissioner, Resettlement and Rehabilitation, Coordinator

Besides, the Secretary of the Administrative Ministry/Department of the project for which the land is to be acquired shall be invited as one of the members.

- 9.2.1 To ensure speedy disposal of any issues that may arise, the Administrator resettlement and rehabilitation of the respective project and a representative of the Requiring Body will be permanent invitees to the State Level Monitoring Committee.

9.3 Information Sharing:

- 9.3.1 All information on displacement, rehabilitation and resettlement, with names of the affected persons and details of the rehabilitation and resettlement package, shall be placed in the public domain on the Internet as well as shared with the concerned *gram sabhas, panchayats*, etc. by the project authorities.

- 9.3.2 For each major project covered by this policy, there shall be an Oversight Committee for rehabilitation and resettlement in the department concerned of the State Government.
- 9.4 The Department of Revenue and Land Reforms, Government of Jharkhand will be nodal department for the State Government, for the purpose of implementation and execution of this policy.
- 9.5 The State Government may modify any provision of this policy from time to time .
- 9.6 Commencement :**
Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy, 2008 shall come into effect from the date of its publication in the Gazette of Jharkhand (Extraordinary).

By order of the Governor of Jharkhand,
R.S. Poddar,
Secretary.
